विषय सूची

	पृष्ठ सं०
निदेशक मण्डल	3
शेयरधारकों को सूचना	5
निदेशकों का प्रतिवेदन	6-27
स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	29-38
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	39
तुलन पत्र	42
लाभ एवं हानि का विवरण	43
लेखे पर द्रष्टव्य	44-53
वित्तीय विवरणों के अन्य द्रष्टव्य	54-86
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	87-90
नकद प्रवाह विवरण	91-92

निदेशक मंडल	:	**श्री सौगत मित्रा** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(30.06.2016 तक)
		बिग्रे. बी. डी. पाण्डेय, एसएम (सेवानि) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(16.08-2016 से)
		श्री सुंदर बनर्जी निदेशक (तकनीकी)	
		श्री ए. एम. मनीचन निदेशक (वित्त)	(27.07.2016 से)
		श्रीमती विनीता श्रीवास्तव निदेशक, भा.उ.वि.	(16.03.2017 तक)
		श्री परवीन गुप्ता सरकारी निदेशक	(16.03.2017 से)
		श्रीमती बेला बनर्जी गैर-सरकारी निदेशक	
		श्री तापस कुमार चटर्जी अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	
लेखा परीक्षक	:	मेसर्स बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	
सॉलिसिटर	:	फॉक्स एण्ड मण्डल, कोलकाता सैण्डर्सन्स एण्ड मोरगन्स, कोलकाता	
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक एच डी एफ सी बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड	
पंजीकृत कार्यालय	:	27, आर. एन. मुखर्जी रोड कोलकाता-700001	

3

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

4

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

शेयरधारकों के प्रति सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि कंपनी के शेयरधारकों की **31 वीं वार्षिक सामान्य बैठक** बीबीजे के कार्यालय 234/1, ए जे सी बोस रोड, कोलकाता–700020 में 15 दिसंबर, 2017 को मध्याह्न 12.00 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन करने के लिए होगी–

साधारण काम–काज

1. कंपनी के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा तथा उसी तिथि की तुलन–पत्र के साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए यथोक्त लेखा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजीआई) के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए कंपनी के कामकाज से संबंधित निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार किया गया है, को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।
3. निदेशकों की नियुक्ति करना
4. वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

(एस. के. भट्टाचार्य)
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
27, आर एन मुखर्जी रोड,
कोलकाता–700001
20 नवंबर, 2017

द्रष्टव्य :

1. बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को, अपने बदले में बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरुष नियुक्त करने का अधिकार हैं और उक्त प्रतिपुरुष को कंपनी का सदस्य रहना आवश्यक नहीं है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत यथापेक्षित अल्पतर सूचना पर वार्षिक सामान्य बैठक बुलाए जाने के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली जायएगी।
3. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 30 सितंबर, 2017 के बाद उक्त बैठक आयोजित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के तहत तीन महीने समय बढ़ाने की मंजूरी दी गयी थी।

प्रतिलिपि : सभी निदेशकों को

5

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयरधारकगण

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके समक्ष लेखे के लेखा परीक्षित प्रतिवेदन के साथ कंपनी के प्रचालन एवं कार्यनिष्पादन पर 31 वीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

2.0 प्रचालन की सुर्खियां एवं उद्योग समीक्षा :

केंद्र में एक गतिशील सरकार के रहने से वर्ष 2016-17 वास्तव में एक नई आशाप्रद युग की शुरूआत के लिए घटनापूर्ण था। सरकार की वर्ष 2016-17 के लिए बजट में बड़ी नीतिगत पहल की गई थी। सरकार की बुनियादी संरचना विकास के लिए विज़न से निर्माण क्षेत्र में उत्कृष्ट विकास अवसर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

''मेक इन इंडिया'' और 'स्वच्छ भारत' पहल के अतिरिक्त ''औद्योगिक पार्क'', ''स्मार्ट सिटी'', ''शहरी परिवर्तन'' एवं ''विरासत शहर'' के लिए सरकारी नीति राष्ट्रीय स्तर पर मील का पत्थर स्थापित करेगी तथा हमारी अर्थव्यवस्था उत्साही बनेगी एवं आने वाली वर्षों में निर्माण उद्योग के प्रभावशाली विकास में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी।

सरकार के उपरोक्त कदम की ओर झुकाव रखते हुए आपकी कंपनी इस कैलेण्डर वर्ष में अपनी उत्पादन क्षमता में योजनापूर्ण ढंग से वृद्धि कर अपनी नीचे की रेखा की ओर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। त्वरित दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र (केआरए) में कार्रवाई की गई है।

अन्य बातों में आने वाली वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना में से और संभावना तलाश करने के अलावा सड़क परियोजना के प्रसार, मेट्रो रेल परियोजनाएं, स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण, ट्रैक बिछाने एवं आधुनिकीकरण एवं अन्य गैर-सिविल क्षेत्रों से नौकरी की संभावना तलाशना शामिल है। आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए अनुरूप कदम से पारम्परिक व्यापार प्रक्षेपक से विविधीकृत क्षेत्र में वचनबद्ध विकास दर से कंपनी के कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

वर्ष के दौरान बीबीजे ने प्रमुख कदम आगे उठाई है। सभी प्रकार की जटिलताओं एवं चुनौतियों के साथ मुंगेर में गंगा ब्रिज के कार्य पूर्ण होने से बीबीजे ने देश के मेगा ब्रिज क्लब के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कुछ साल पहले द्वितीय हुगली पुल सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद एक बार और अपना नाम स्थापित की है। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा मील का पत्थर समान परियोजना के पूर्ण होने से आपकी कंपनी के ट्रैक रिकार्ड निष्पादन को महिमान्वित किया है।

लगातार वर्षों तक लाभप्रदत्ता की ट्रैक रिकार्ड बनाए रखने वाली आपकी कंपनी की वर्ष 2016-2017 के लिए लाभप्रदत्ता (कर पूर्व लाभ) 2804.16 लाख रुपये थी, जो 1764.96 लाख रुपये (कर पश्चात लाभ) हिसाब किया गया है। यह संतोषजनक है कि आपकी कंपनी सभी चुनौतियों के बावजूद अपनी लाभप्रदत्ता की ट्रैक रिकार्ड बनाए रखी है। जैसा कि पहले बताया गया है एकीकरण के उपरांत कंपनी की नेट वर्थ में सुधार हुई एवं महत्वपूर्ण उच्च प्रक्षेप पर रहा तथा आने वाली वर्षों में जटिल बाजार गतिशीलता में प्रतियोगी बने रहने के लिए विविधीकरण के विस्तार योजनाओं में धन लगाने के लिए आंतरिक संसाधनों की सृष्टि के लिए अतिरिक्त चमक प्रदान करने में आपकी कंपनी को सहायता करती रही है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, बाधाएं एवं चुनौतियां होने के बावजूद आपकी कंपनी अन्य आय समेत 10407.75 लाख रुपये की कुल बिक्री हासिल की है। बीबीजे आने वाली वर्षों में महत्वपूर्ण उच्च स्तर पर कारोबार एवं लाभप्रदत्ता दोनों के मुताबिक विकास की गति देते हुए बाजार की वर्तमान मंदी के संग रेलवे एवं अन्य ग्राहकों से लाभकारी आदेशों की ओर सचेतन रूप से लक्ष्य रखी है।

6

3.0 वित्तीय कार्यनिष्पादन

3.01 कंपनी का वित्तीय वर्ष 2016-2017 बनाम 2015-2016 के लिए वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है :—

(₹ लाख में)

विवरण	2016-2017	2015-2016
कुल आय	**10407.75**	**17008.28**
सकल मार्जिन	**3001.15**	**7009.27**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**117.10**	**115.42**
वित्त लागत	**79.89**	**5.28**
कर पूर्व लाभ	**2804.16**	**6888.57**
वर्तमान कर हेतु प्रावधान	**1039.20**	**2448.08**
कर पश्चात शुद्ध लाभ	**1764.96**	**4440.49**

4.0 वित्तीय एवं पूंजी संरचना

4.1 विगत वर्ष की तुलना में कंपनी की 31 मार्च, 2017 को पूंजी संरचना नीचे दी गई है :—

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
प्राधिकृत पूंजी	**34810.00**	34810.00
शेयरधारकों के कोष		
शेयर पूंजी	**10373.05**	10373.05
पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	**1388.00**	1388.00
आरक्षण एवं अधिशेष	**17765.63**	16766.43
शेयर आवेदन धन (आबंटन लंबित)	**325.01**	325.01
गैर वर्तमान देयताएं		
दीर्घकालीन ऋण	**664.62**	714.62
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	**0.00**	0.00
दीर्घकालीन प्रावधान	**14.48**	21.59
वर्तमान देयताएं		
अल्पकालीन ऋण	**7270.70**	6854 .54
व्यापार देय	**5192.73**	5211.83
अन्य वर्तमान देयताएं	**35301.44**	35211.12
अल्पकालीन प्रावधान	**1470.03**	2110.21
कुल	**79,765.69**	**78,976.40**

7

प्रतिनिधित्वकर्ता :		
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		
स्थायी परिसंपत्तियॉ (शुद्ध)	**530.38**	581.86
दृश्य परिसंपत्तियां	**0.84**	2.13
अदृश्य परिसंपत्तियां	**11.05**	11.05
प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य		
गैर वर्तमान निवेश	**3139.97**	3139.97
अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	**6852.42**	6852.42
वर्तमान परिसम्पत्तियां	**69231.03**	68388.97
कुल :	**79765.69**	**78976.40**

एकीकरण की प्रक्रिया :

जैसा पहले बताया गया है, आपकी कंपनी की विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई। एकीकृत कंपनी ने सफलता पूर्वक विलय प्रक्रिया को प्रचालित की एवं सरकार द्वारा अनुमोदित एकीकरण योजना के अनुसार नये नाम से व्यवसाय में बनी रही मेमोरेन्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अन्य परिणामिक परिवर्तन समय-समय पर निदेशक मंडल की अनुशंसा पर संकल्प तथा कानून के तहत अनुमति प्राप्त समय पर आयोजित बैठक में शेयर होल्डरों द्वारा गृहीत मत के अनुसार किया गया था। उपर्युक्त पहल आपके कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के व्यवसाय को सरकार द्वारा आपकी कंपनी के लिए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तकनीकी-वाणिज्यिक तालमेल की स्वाभाविक व्यवहार्यता के साथ सस्ते एवं कुशलतापूर्वक चलाने के लिए की गई है।

लाभांश :

4.01 लगातार वर्षों से 'लाभांश देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम' के रूप में पहचाने जाने वाली आपकी कंपनी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 13 नवंबर, 2017 को आयोजित कंपनी की निदेशक मंडल की 136 वां बैठक में कंपनी के शुद्ध लाभ से 129.52 लाख रु० कारपोरेट लाभांश कर छोड़कर साम्यिक दर से 636.24 लाख रु. (कर छोड़कर) की राशि लाभांश देने की सिफारिश की है।

जो आपकी कंपनी द्वारा भारत सरकार को, उक्त वार्षिक साधारण सभा के आयोजन हेतु समय बढ़ाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार की दिनांक 25 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर 30 दिसंबर, 2017 के बाद शीघ्र ही आयोजित होने वाली वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा घोषित करने पर देय होगी।

5.0 आदेश पुस्तक :

31.03.2017 को 47877.20 लाख रुपये का आदेश हस्तगत है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 8036.91 लाख रुपये मूल्य का आदेश निष्पादित किया गया तथा बिल बनाया गया। वर्ष 2017-2018 के लिए आदेश पुस्तक में और सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

6.0 विविधीकरण एवं भावी संभावनाएँ :

6.1 कंपनी द्वारा विविधीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं जिसमें वर्तमान उत्पाद मिश्रण के अतिरिक्त अन्य बातों के साथ संबंधित क्षेत्रों की सिविल इंजीनियरिंग एवं निर्माण परियोजनाएँ सम्मिलित है। आपकी कंपनी अपने सीमित संसाधनों के साथ रोड ओवर ब्रिज के निर्माण एवं आरसीसी ब्रिज के निर्माण हेतु आदेश का निष्पादन किया है। निष्पादन कार्य की सफलता से आने वाली समय में आपकी कंपनी को समान प्रकृति की और भी आदेश मिलने की प्रत्याशा है जिससे आपकी कंपनी की निचली पंक्ति तथा लाभप्रदत्ता में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

8

आगे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी अपनी विपणन परिदृश्य और भी सुधारने की प्रचेष्टा में उत्तर सीमांत रेलवे से मणीपुर में दो पुलों के निर्माण के लिए हासिल आदेश का निष्पादन प्रारंभ कर दिया है। हालांकि चुनौतीपूर्ण कार्य होने से कंपनी की पार्श्वदृश्य को नयी प्रेरणा मिलने की आशा है।

6.01 आपके कंपनी के पास उच्च मूल्य की निविदाओं पर भाव देने के लिए समझौता ज्ञापन/कंसोर्टियम के रूप में विनिर्माण उद्योगों के अन्य प्रधान हस्तियों के साथ रणनीतिक गठबंधन करना विचाराधीन है। इस नीतिगत पहल का प्रधान उद्देश्य कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के जरिये तकनीकी-आर्थिक सहक्रिया के लाभ तलाशना है। तकनीकी रूप से संगतपूर्ण होने के अलावा समय के साथ यह प्रक्रिया कंपनियों एवं कंसोर्टियम के लिए लाभदायक होगी एवं जिसके परिणामस्वरूप निजली पंक्ति में मूल्य संयोजन होगा।

7.0 मानव संसाधन :

प्रचालन उत्कृष्टता हासिल करने के लिए घोर एवं लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि संगठन की प्रत्याशा पूरा करने के साथ-साथ बदलते औद्योगिक परिदृश्य के संग गति रखी जा सके।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान रखते हुए विभिन्न नयी नीतियां बनायी गयी एवं पुरानी नीतियां संशोधित की गयी। आगे, कंपनी में पारदर्शिता बढ़ाने एवं प्रभावी संप्रेषण पद्धति की दिशा में प्रवीण मानव संसाधन व्यवस्था तैयार करने के लिए कई पहल की गयी।

2016-2017 की अवधि के दौरान शिकायत समिति द्वारा कर्मचारियों से संबंधित सभी शिकायतें समय पर निपटारा की गयी है। कर्मचारियों के कार्यशील एवं व्यवहारिक कुशलता बनाये रखने के लिए विभिन्न मॉड्यूल के तहत भिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी ताकि कर्मचारियों में प्रवीणता वृद्धि हो एवं निजी प्रयास से सीखने की प्रवृति को बढ़ावा मिले।

इसके आगे भी, वर्तमान अभिनव एवं चुनौतीपूर्ण बाजार के मद्देनजर कंपनी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीनतम रूझान/तकनीक एवं उनके संबंधित क्षेत्र में हुए बदलाव की जानकारी प्रदान करने एवं उनके ज्ञान वृद्धि हेतु आवश्यकता आधारित अन्त:गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम/तकनीकी कार्यशाला आयोजित की ताकि वे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए ज्यादा शक्ति एवं उत्साह से कार्य कर सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की जीवन-रेखा, औद्योगिक सम्पर्क शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण रहा।

7.01 समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण :

सरकारी नीति एवं निर्देशों के मुताबिक अ.जा, अ.ज.जा. एवं अ.पि.जा. के लिए आरक्षण नीति सहित सांविधिक कल्याण सुविधाओं के अलावा कंपनी द्वारा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन निर्मित नियम में शामिल किये गये सांविधिक कल्याण सुविधाएं दी जाती है।

7.02 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग :

कंपनी में कंप्यूटरों पर हिन्दी भाषा का साफ्टवेयर संस्थापित किया गया है और कंपनी अपने कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दे रही है ताकि कर्मचारी अपने दैनंदिन काम-काज में उसका इस्तेमाल कर सकें। राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रचार एवं कार्यान्वयन हेतु कंपनी निरंतर हिन्दी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कर्मचारियों को प्राज्ञ (उच्च स्तर) के लिए हिन्दी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो एक सतत प्रक्रिया है। कंपनी के कर्मचारियों को हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आपकी कंपनी अपनी हिन्दी कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता बन गई है।

9

8.0 निगमित अभिशासन :

आपकी कंपनी अपने काम-काज में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगमित अभिशासन की सर्वोत्तम परिपाटी को ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों का उल्लेख करते हुए इस प्रतिवेदन के साथ लोक उद्यम विभाग के निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों की शर्तों के मुताबिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित निगमित अभिशासन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

जहां आवश्यक है जोखिम प्रबंधन हासिल करने एवं काम काज की प्रक्रिया में आवश्यक बनाने हेतु अभिन्न अंग के तौर पर नीतिगत पहल की गयी थी। आपकी कंपनी के पास बदले में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा निदेशक मंडल द्वारा नामित सदस्यों को लेकर गठित लेखापरीक्षा समिति दवारा समय-समय पर ऐसे पर पेसे नियंत्रणों की परीक्षा की जाती है।

8.01 लेखा-परीक्षा समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक एवं इनकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार कंपनी अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों के तहत यथापेक्षित सदस्यों को लेकर निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति गठित की गयी है। विचारणीय विषय के अलावा, कानून के अधीन यथापेक्षित लेखा परीक्षा समिति में वित्तीय एवं लेखा क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त स्वतंत्र निदेशकों समेत गैर-कार्यकारी निदेशकगण हैं। लेखा परीक्षा समिति एवं दूसरी समितियों के संबंध में विवरण निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में दिया गया है।

आपकी कंपनी नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करती रही है ताकि पारदर्शिता, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा एवं विभिन्न कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। लेखा परीक्षा समिति वर्ष 2016-2017 में चार बार बैठकें आयोजित की है।

आंतरिक लेखा परीक्षा योजना, आंतरिक नियंत्रण रचनातंत्र एवं वित्तीय एवं प्रचालन पद्धति के मामले को और भी संरचित की गयी है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के परमादेश के साथ सभी किस्म की भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

आपकी कंपनी संविधि प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए आगे कदम उठाते हुए 'सीएसआर समिति', 'कार्पोरेट गवर्नेंश समिति', 'स्टैक होल्डर्स रिलेशनशीप समिति', एवं 'प्रबंधन समिति' सहीत विभिन्न समितियों का गठन किया है। उपर्युक्त समितियाँ पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्यकलाप करती है एवं उपरोक्त प्रत्येक समितियां संबंधित मुद्दे पर कार्य करती है।

9.0 निगरानी रचनातंत्र / व्हिशिल ब्लोअर पॉलिसी :

कंपनी में निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक एवं संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लघंन का सही रिपोर्ट करने हेतु जागरण तंत्र रखा गया है जहां उच्च मान की पेशेवर, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं नैतिक व्यवहार द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से मामले के संचालन करने में 'व्हिशीत ब्लोअर पॉलिसी' अपनाई गई है।

नीति का उद्देश्य भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। व्हिशील ब्लोअर पॉलिसी के बारे में विवरण कार्पोरिट गवर्नेंश रिपोर्ट में भी दिग्रा गया है। कंपनी के वेबसाईट पर 'व्हिशील ब्लोअर पॉलिसी' डालना प्रस्तावित है।

9.01 संबद्ध पार्टी से लेन देन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी संबद्ध पार्टियों से कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेन देन नहीं की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबद्ध पार्टी लेन देन की भौतिकता पर कंपनी की नीति के अनुरूप भौतिक रूप में माना जाये।

सभी संबद्ध पार्टी लेन देन जैसे एवं जब होता तो लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

10

9.02 महिलाओं के कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण :

आपकी कंपनी सुरक्षित कार्य का माहौल तैयार करने एवं उसे बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ इसके कर्मचारियों, एजेंटों, विक्रेताओं एवं भागीदार उत्पीड़न, शोषण एवं भय से मुक्त वातावरण में कार्य एवं व्यापार कर सके। महिलाओं को सशक्त करने एवं यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्पीड़न की रोकथाम हेतु नीति बनायी गयी है एवं विधिक दिशानिर्देशों के मुताबिक एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गयी है। यह नीति कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की सुविधा प्रदान करती है। आंतरिक समिति को यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को देखने का अधिकार तथा स्पष्ट समयसीमा के संग खुले एवं निष्पक्ष जांच प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त है।

9.03 महिलाओं के सशक्तिकरण :

कंपनी लैंगिक समानता पर महत्व दे रही है। कंपनी द्वारा महिला कर्मचारियों की हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे जैसे मजदूरी का भुगतान, काम के घंटे, स्वास्थ्य, कल्याण पक्ष एवं मातृत्व लाभ आदि के लिए सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

10.00 ऋण, गारंटियों एवं निवेशों एवं जोखिम प्रबंधन नीति का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रवधान के अधीन ऋण, गारंटियों एवं निवेशों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्यों में दिया गया है। आपकी कंपनी जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। समिति का ब्यौरा एवं दूसरे विवरण भी कार्पोरेट गवर्नेंश रिपोर्ट में दी गयी है, जो निदेशकों के प्रतिवेदन का अंग है।

10.01 आंतरिक लेखा परीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण :

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो कंपनी के कायर्कलापों पर प्रभाव डालने वाली मुख्य जोखिमों एवं अनिश्चिताएँ मॉनिटर करती है।

आपकी कंपनी के पास व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की नीतियों के अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखेबाजी की रोकथाम, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं समय पर विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण तैयार करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कंपनी ने अपनी सभी स्थानों पर सहयोगी आंतरिक लेखा परीक्षा करने हेतु बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षा एजेंसी नियुक्त की है। इसकी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा रखा गया है।

10.02 आचार संहिता :

आपकी कंपनी के पास सठीक परिभाषित नीति का ढांचा है जिसमें निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों द्वारा नीतिपरक पेशेवर आचरण का पालन करने वाली पद्धतियां दी गयी हैं। संहिता मूल नीतिपरक विचारों के साथ उन विशेष विचारों को रेखांकित करती हैं जिसे पेशेवर आचरण हेतु बनाये रखना है। इस संबंध में यह बताते हुए कि सरकारी निदेशों के अधीन यथापेक्षित समय-समय पर बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संकलित की गयी आचार संहिता की घोषणा की गयी है।

10.03 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अनुपालन की आवश्यकताएँ एवं अनुपालन के विवरणों का आपकी कंपनी अनुपालन की है, यानी

वार्षिक विवरण का उद्धरण	–	इस रिपोर्ट के साथ फार्म एमजीटी- 9 संलग्न है।
वित्तीय सारांश	–	पुनरीक्षण एवं सुर्खियों में दिया गया है।
व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन	–	वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नहीं है।
निदेशक एवं मू.प्र.का. नियुक्त एवं नहीं रह गए	–	इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण दिया गया है।
सहयिकाएँ, सं.उ. सहयोगी कंपनियां	–	कुछ नहीं।
सावधि जमा से संबंधित विवरण	–	लागू नहीं।
अध्याय-V के गैर-अनुपालन का विवरण	–	लागू नहीं।
गोईंग कन्सर्न स्टेट्स प्रभावित करने वाले भौतिक आदेश पारित	–	कुछ नहीं।

10.04 सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं 2016-2017 के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियां :

लेखा परीक्षकगण :

मेसर्स बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016-2017 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2016-2017 के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन स्वत: स्पष्ट है एवं लेखे पर टिप्पणियों के साथ पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट दी है एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक नहीं दी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को उनके प्राप्त पत्र इस प्रतिवेदन के साथ यहां संलग्न है।

10.05 लेखांकन नीति / मानदण्ड का अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान आपकी कंपनी ने लेखांकन मानदण्ड नीति के अनुरूप कंपनी का लेखा संगत रूप से लेखांकन मानदण्ड एवं लेखांकन नीति का अनुपालन की है। किसी प्रकार की व्यतिक्रम न होने से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कोई हेर-फेर नहीं है।

10.06 कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 5(1) के अनुसार प्रकटीकरण :

भारत सरकार के उद्यम होने के नाते कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कर्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत यथापेक्षित पारिश्रमिक एवं अन्य विवरण के बारे में प्रकटीकरण की छूट प्राप्त है।

12

10.07 कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के नियम 5(2) एवं 5(3) कर्मचारियों का विवरण :-

कंपनी (प्रबधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने कोई पारिश्रमिक का भुगतान नही किया है। अतएवं, इस संबंध में इस प्रतिवेदन के साथ कोई सूचना संलग्न करना आवश्यक नहीं है।

10.08 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा :

पंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गयी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अधीन विहित स्वतंत्रता का मानदण्ड पूरा करता है।

10.09 वर्ष 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन (स. जा.) हस्ताक्षर करना :

आपकी कंपनी वर्ष 2017-18 के लिए भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन स्वाक्षरित की है। स. ज्ञा. में कार्यनिष्पादन के विभिन्न लक्ष्यों एवं पैरामिटरों रहते हैं, जिसका मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक उपलब्धियों के विरुद्ध किया जाता है।

10.10 सचिवीय लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की उक्त प्रावधानों के तहत नहीं आती है, इसलिए ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी है।

11.00 पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते इस पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। अन्दरूनी रचनातंत्र की चेष्टा से आपकी कंपनी विभिन्न उत्पादन की साइटों पर चालू प्लांटों से उत्सर्जित कार्बन एवं अन्य गैसों के स्तरों का मॉनिटर करने के लिए आवधिक जांच पद्धति जारी रखी है एवं नीति दुरस्त की है।

वर्ष के दौरान प्राधिकारियों या विनियामकों से कभी भी संबंधित कानूनों के गैर-अनुपालन का अभियोग दिखाते हुए कोई नोटिस या कारण दिखाओं कागज़ात नहीं प्राप्त हुआ है एवं इस प्रकार आपकी कंपनी समाज एवं व्यापक लोगों के प्रति पारिस्थितिकी-मित्र बनी रही है।

11.01 निगमित सामाजिक दायित्व :

निगमित सामाजिक दायित्व (नि.सा.दा.) समिति ने नि.सा.दा नीति तैयार की है एवं निदेशक मंडल को इसकी सिफारिश की है। कंपनी के पास स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि हेतु स्थिरता नीति भी है और इसे निर्माण के साथ-साथ कंपनी की व्यावसायिक प्रचालनों में एक अभिन्न हिस्सा बन सके ताकि धरती माँ एवं वातावरण की रक्षा हो सके एवं अपने ग्राहकों, पणधारियों, व्यापक समाज एवं भविष्य की पीढ़ियों का बढ़िया किस्म का जीवन एवं रहने के लिए ठीक स्थान दिया सके। समिति ने अधिनियम की अनुसूची-VII के अनुपालन में सीएसआर क्रियाकलाप करने की सिफारिश की है।

आपकी कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्न महत्व की परियोजनाएँ चिह्नत करने के लिए कदम उठायी है एवं कुशलता विकास तथा विशिष्ट बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों एवं शिक्षा के अलावे स्वच्छ भारत कोष में अंशदान की है।

सी एस आर के आगमी वर्ष 2017-2018 के लिए राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के मुताबिक एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर नीति अनुसार चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएंगी।

13

12.01 उत्साहवर्द्धन / एमएसएमई को सहायता :

बर्ष 2016-17 के लिए प्रिंटिंग टोनर आदि समेत कुल स्टेशनरी में एमएसएमई से बड़े हिस्से की खरीद की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में आपूर्तिकर्ताओं का कुछ भी भुगतान बकाया नहीं था।

उनसे कई चरणों में चयनित स्रोतों / सामग्री खरीद कर एवं प्राप्त सेवाओं के जरिए सामाजिक कल्याण संगठनों की सहायता और समर्थन भी की गयी है।

13.00 ऊर्जा संरक्षण एवं तकनॉलजी :

ऊर्जा संरक्षण

एलसीडी से एलईडी प्रकाश व्यवस्था कर बिजली की बचत में उपलब्ध उत्कृष्ट तकनीक हासिल करने के माध्यम से सभी नये निर्माण परियोजनाओं में ऊर्जा खपत को कमतर रखने के लिए बल दिया गया है। इसके अलावा ज्यादातर परियोजनाएँ बताये गए ऊर्जा मानदंडों, ऊर्जा कुशल ऊपकरणों के उपयोग से निष्पादित की गई हैं।

प्रौदयोगिकी अवशोषण :

नयी एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतीकरण की जा रही है। वरिष्ठ प्रबंधन को नयी प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय :

सभीक्षाधीन वर्ष के दैरान विदेशी मुद्रा का कोई अर्जन य बहिर्गमन नहीं हुआ है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सूचना अनुलग्नक में दी गई है जो इस प्रतिवेदन का अंग है।

14.00 अन्य सामान्य प्रकटीकरण :

सूचना का अधिकार :

कंपनी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को सूचना प्रदान करने का उपयुक्त तंत्र है।

महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश :

विनियामक या न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी की गोईंग कन्सर्न स्टेट्स एवं प्रचालन पर प्रभाववाला कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित किया गया है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण :

निदेशकगण का एतद्द्वारा कहना हैं कि सभीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के बारे में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं हुआ था :

- कोई शेयर का निर्गम नहीं हुआ था
- उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने, जिसका इस वित्तीय वर्ष से संबंध है एवं इस प्रतिवेदन की तारीख तक, के बाद और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर किसी भौतिक बदलाव या वचनबद्धता का प्रभाव नहीं पड़ा।

- विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-197(12) की संशोधित प्रावधानों में विहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक कोई कर्मचारी प्राप्त नही किया है।

- कंपनी आईसीएसआई द्वारा समय-समय पर जारी की गई सचिवीय मानदण्डों का अनुपालन करती है।

- कंपनी लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई मार्गनिर्देशों एवं नीतियों का अनुपालन करती है।

15.00 सतर्कता :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता क्रियाकलाप सफलतापूर्वक व्यवस्थित की गयी एवं कोई सतर्कता मामला लंबित या सोचा नहीं है।

16.00 गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुरक्षा :

आपकी कंपनी अनुबंध में बतायी गयी अपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने के लिए गुणवत्ता मानदण्डों एवं मानकीकृत विशेष प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार सूचित करने के अंश एवं कामकाज की आवश्यकताओं की दृष्टि से गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया एक परिपाटी के रूप में पालन कर रही है। निर्माण कार्य में सुरक्षा हल्के ढंग से नहीं ली जा सकती है। वास्तव में सुरक्षा को निर्माण के सभी पक्षों में हर समय सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यक्ता है। प्रधान कार्यालय में गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था एवं इस अवसर पर परियोजना स्थलों पर सुरक्षा जरूरतों के लिए सुरक्षा पर सामान्य दिशानिर्देशों का वाचन किया गया।

17.00 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अधीन कर्मचारियों के ब्यौरे तथा निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के तहत शर्तों के अनुसार कंपनी का कोई भी कर्मचारी उस धारा के अधीन नहीं आता है।

18.00 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण :

अधिनियम की धारा 134 के अनुसरण में निदेशकगण का कहना है कि :-

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में वस्तुगत विचलनों, यदि है से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ ही प्रयोज्य मानदण्डों का अनुपालन किया गया;

(ख) उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं उन्हे लगातार लागू किया गया एवं निर्णय एवं आकलन किए है तथा जो यथोचित एवं दूरदर्शी है ताकि 31 मार्च, 2017 को स्थित कंपनी की कार्यस्थिति का एवं 31 मार्च, 2017 को समाप्त लाभ और हानि लेखा का सत्य एवं स्वच्छ आंकलन हो:

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखने के लिए सठीक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है;

(घ) वार्षिक लेखों का चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है;

(ङ) कंपनी द्वारा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया है एवं ऐसे वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से चल रही है;

(च) सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित पद्धति निर्मित की गयी एवं ऐसी पद्धतियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालन कर रही है।

15

19.00 निदेशक मंडल :

सरकार के आदेश द्वारा श्री सौगत मित्रा, निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड को कंपनी के निदेशक (वित्त) के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री सौगत मित्रा, दिनांक 30.6.2016 एवं 09.7.2016 से प्रभावी क्रमश: अएवंप्रनि एवं निदेशक (वित्त) नहीं रहें।

सरकार के आदेश द्वारा ब्रिगेडियर बी. डी. पाण्डेय, एसएम (सेवानिवृत्त) को 16.08.2016 से प्रभावी सरकार के आदेश द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर उन्नत किया गया था एवं ब्रिगे. पाण्डेय 31 जुलाई 2017 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वने रहें।

सरकार के दिनांक 13.09.2017 के आदेश द्वारा श्री सुंदर बनर्जी को निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार के साथ 01 सितंबर, 2017 से प्रभावी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री ए. एम. मनीचन, उप सचिव, आई एफ डब्ल्यू को भारी उद्योग विभाग के आदेश के जरिए 27.07.2016 से प्रभाव निदेशक (वित्त) के तौर पर नियुक्त किया गया था। श्री मनीचन 24 अक्टूबर, 2017 तक निदेशक (वित्त) के पद पर बने रहें। भारी उद्योग विभाग के आदेश सं० 12 (8)/2016 पीई-III दिनांक 29.09.2017 के जरिए श्री रितेंद्र कुमार मित्र ने 25 अक्टूबर, 2017 को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में पदभार ग्रहण किया।

सरकार के 03.6.2016 के आदेश से श्रीमती बेला बनर्जी, पूर्व सदस्य (तकनीकी), रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंश-कालीन गैर-सरकारी निदेशक के साथ श्री तापस कुमार चटर्जी, वरिष्ठ वकील, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने पद पर बने रहें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 2(51) एवं 203 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में वर्ष के दौरान 'मूल प्रबंधकीय कार्मिक' के तौर पर उपयुक्त व्यक्ति पदनामित किए गए थे।

20.00 आभारज्ञापन :

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों खासकर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारतीय रेलवे, कोलकाता पत्तन न्यास, रेल विकास निगम एवं पश्चिम बंगाल सरकार, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं एचडीएफसी बैंक एवं अन्य बैंकों द्वारा कंपनी को प्रदत्त सहयोग एवं सहायता के लिए हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार के प्रति सभी कर्मचारियों द्वारा सहयोग एवं प्रतिबद्धता एवं योगदान के लिए अभिस्वीकृति प्रकट करते हुए हर्ष है। आपकी कंपनी की वर्तमान सफलता में तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुल निर्माण उद्योग के क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखने में उनका सतत समर्थन बना रहा और आगे भी रहेगा।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक : 10 नवंबर, 2017

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

16

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

कंपनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों की घोषणा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में सूचना, जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन का अंग है।

(क) ऊर्जा का संरक्षण

(क)	ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय	(क) ऊर्जा की संरक्षण पर कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण नीति बनाई है। कार्य स्थलों पर संयंत्रों एवं उपस्करणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करती है। नीतियों का पुनर्विचार समय-समय पर निगमित स्तर पर किया जाता है।
(ख)	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, अगर कोई क्रियान्वित किया जा रहा है	(ख) शून्य।
(ग)	ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु उपर्युक्त उपाय (क) तथा (ख) का प्रभाव और माल के उत्पादन को लागत पर परिणामी प्रभाव	(ग) उपर्युक्त (क) के अधीन अपनाए गए उपाय प्रत्युत्तरदायी है, क्योंकि इसने समय पर कंपनी की उर्जा की खपत में कमी में योगदान किया है।

(ख) प्रोद्यौगिकी आत्मसात करना

(क) स्टील पुलों के साईट फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन के लिए आपकी कंपनी को आई.एस.ओ 9001-2008 कंपनी के रूप में प्रमाणीकृत किया गया है।

(ख) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

	वर्तमान वर्ष (₹ लाख में)	**गत वर्ष** (₹ लाख में)
पूँजी	शून्य	शून्य
राजस्व	शून्य	शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

	वर्तमान वर्ष (₹ लाख में)	**गत वर्ष** (₹ लाख में)
निर्यात आदि से अर्जन	शून्य	शून्य
यात्रा आदि पर व्यय	शून्य	1.30

17

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

फार्म सं० एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को यथास्थित

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम-12(1) के अनुसरण में।

I पंजीकरण एवं अन्य व्यौरा :

सी आई एन	यु**70100**डब्ल्यूबी**1986**जीओआई**041286**
पंजीकरण तिथि	17 सितंबर, 1986
कंपनी का नाम	मेसर्स दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कंपनी को श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 फोन : 033-2248-5841/43 फैक्स : 033- 2210 3961
क्या कंपनी सूचीबद्ध है हाँ/नही	नही

ii कंपनी की मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

कंपनी की कुल कारोबार के 10 % या अधिक अंशदान करनेवाली व्यवसायिक कार्यकलाप निम्नलिखित है :

क्रम सं०	उत्पाद का नाम एवं विवरण	एनआईसी कोड	कुल कारोवार का %
1	पुल का फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन	शून्य	95.00% (करीब)
2	सिविल इंजीनियरिंग के अन्य कार्य	शून्य	5.00% (करीब)

iii नियंत्रक, अनुषंगी एवं सम्बद्ध कंपनियों का विवरण-लागू नहीं

क्रम सं०	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन	नियंत्रक/अनुषंगी सम्बद्ध कंपनी	धारित शयरों का **%**	कंपनी अधिनियम **2013** के अधीन लागु धारा
1.						
2.						

18

IV शेयर होल्डिंग पैटर्न **:** (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी (विघटन)

(i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयर धारको की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में घारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति एवं मनोनीत	-	10,37,305	1037305000	100%	-	10,37,305	1037305000	100%	शून्य

(ii) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जीडीआर एवं एडीआर के होल्डरों) के शेयर होल्डिंग पैटर्न **:**

क्रम सं०	10 शीर्ष शेयरधारकों प्रत्येक के लिए	निम्नलिखित के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		निम्नलिखित के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1.	भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार	10,37,305	100%	10,37,305	100%

(iii) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिकी (मुप्रका) द्वारा शेयरधारित **:**

क्रम सं०	कंपनी के प्रत्येक निदेशक एवं मू प्र का के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %	शेयर की संख्या	कंपनी की कुल शेयरो का %
	निदेशकों :				
1.	ब्रिगे. बी. डी. पाण्डेय, एसएम (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री ए. एम मनीचन, निवेशक (वित्त) भा उ वि, भा.स. नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	श्री सौम्येन नंदी, महाप्रबंधक (परियोजना), भाभाउनिलि	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)
4	श्री स्वपन वंद्योपाध्याय	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)

19

(v) ऋणग्रस्तता

कंपनी का ऋणभार बकाया/उपचित ब्याज समेत परतु भुगतान बकाया नहीं है :

	जमा रहित प्रतिभूति ऋण (₹ लाख में)	अप्रतिभूति ऋण (₹ लाख में)	जमा (₹ लाख में)	कूल ऋणग्रस्तता (₹ लाख में)
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	58.64	7560.52	–	7619.16
ii) ब्याज बकाया परंतु चुकता नहीं	–	34127.55	–	34127.55
iii) ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	58.64	41688.07		41746.71
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन :				
ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं				
(विवि 16-17)	–	शून्य	–	–
संयोजन	474.80	Nil	–	474.80
वियोजन*	58.64	–	–	58.64
शुद्ध परिवर्तन	416.16	कोई परिवर्तन नहीं	–	416.16
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	474.80	7560.52	–	8035.32
ii) ब्याज बकाया परंतु चुकता नहीं	–	34127.55	–	34127.55
iii) ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं.	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	474.80	41688.07	–	42162.87

(#) बदले का अंतर समेत

20

(VI) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक :

(क) ब्रिगे. बी. डी पाण्डेय, एसएम (सेवानि) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (17-08-2016 से) एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिक को 2016 -2017 की

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	ब्रिगे. बी. डी. पाण्डेय एसएम (सेवानि) (₹ लाख में)	कुल राशि (₹ लाख में)
1	सकल वेतन (वार्षिक) (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	20.28	20.28
2	कमीशन : कार्य निष्पादन बोनस दीर्घावधि प्रोत्साहन योजना (एल टी आई पी)	– – – –	– – – –
3	अन्यान्य-सेनिवृत्ति सुविधाएं	–	–
	कुल (क)	20.28	20.28
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम	शुद्ध लाभ का 5%	

(ख) श्री सुंदर बनर्जी, निदेशक (तकनीकी) को वित्तीय वर्ष 2016-2017 के एक लिए दी गयी पारिश्रमिक।

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री सुन्दर बनर्जी निदेशक (परियोजना) (₹ लाख में)	कुल राशि (₹ लाख में)
1	सकल वेतन (वार्षिक) (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	16.09	16.09
2	कमीशन : कार्य निष्पादन बोनस दीर्घावधि प्रोत्साहन योजना (एल टी आई पी) #	– – – –	– – – –
3	अन्यान्य-सेवानिवृत्ति सुविधाएं	–	–
	कुल (क)	16.09	16.09
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम	शुद्ध लाभ का 5%	

21

(ग) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

1. स्वतंत्र निदेशकों

	पारिश्रमिक का विवरण	श्री तापस कुमार चटर्जी (₹ लाख में)
	निदेशक मंडल/समिति की बैठक मे उपस्थिति के लिए शुल्क*	0.45
	कमीशन	–
	अन्यान्य, कृपया स्पष्ट करें	–

स्वतंत्र निदेशकों

	पारिश्रमिक का विवरण	श्रीमती बेला बनर्जी (₹ लाख में)
	निदेशक मंडल/समिति की बैठक मे उपस्थिति के लिए शुल्क*	0.30
	कमीशन	–
	अन्यान्य, कृपया स्पष्ट करें	–

2. गैर-कार्यपालक निदेशकों

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री ए एम मनीचन निदेशक (वित्त) (₹ लाख में)	श्रीमती विनीता श्रीवास्तव (₹ लाख में.)
	निदेशक मंडल/समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क*	शून्य	शून्य
	कमीशन	–	–
	अन्यान्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–

गैर-कार्यपालक निदेशकों

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री ए एम मनीचन निदेशक (वित्त) (₹ लाख में)	श्रीमती परवीन गुप्ता भाउवि के नॉमिनी (₹ लाख में.)
	निदेशक मंडल/समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क*	शून्य	शून्य
	कमीशन	–	–
	अन्यान्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–

22

3. मूल प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री जी.सी जश महाप्रबंधक (वित्त) मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में (₹ लाख में)	श्री एस. के. भट्टाचार्य कंपनी सचिव (₹ लाख में)	कुल राशि (₹ लाख में)
1	सकल वेतन (वार्षिक) (a) आयकर अधिनियम 1961 की धारा17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन (b) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) को अधीन अनुलाभ का मूल्य	14.58 –	15.36 –	29.94 –
2	अन्यान्य, सेवानिवृत्ति सुविधाएँ	–	–	–
	कुल (क)	14.58	15.36	29.94

VII दण्ड/सजा/अधिनियम का समझौता :

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दण्ड/सजा/ समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एन सी/ एल टी न्यायालय	अपील की गयी यदि कोई है (ब्यौरा दें)
दण्ड	शून्य				
सजा					
समझौता					
(ग) डिफाल्ट रूप में अन्य अधिकारी					
दण्ड	शून्य				
सजा					
समझौता					

23

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन भारत सरकार भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के नियम के अनुसार है।

निगमित अभिशासन पर कंपनी का दर्शन	कंपनी के दृष्टिकोण से निगमित अभिशासनों का लक्ष्य : शेयरधारकों के दीर्घकालीन शेयर मूल्य और कंपनी की संपत्तियां निर्माण करने की क्षमता को निम्नलिखित कार्यों के जरिए बढ़ाना। ➢ वरिष्ठ प्रबंधकवर्ग को विवेकशील व्यवसायिक निर्णय एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन लेने में सहायता करना। ➢ कंपनी के सभी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता और पेशेवर गुणों को प्राप्त करना। ➢ प्रकटीकरण आवश्यक्ताओं का अनुपालन। ➢ निगमित अभिशासन में श्रेष्ठता निम्न के द्वारा प्राप्त करना :- 1. निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप उत्कृष्ट बनाना, जहाँ कही भी संभव हो। 2. व्यवसाय संचालन को उच्च नैतिक मानक पर स्थापित करके कानून एवं नियमों का पालन करना। 3. वर्तमान प्रणाली की आवधिक समीक्षा और नियंत्रण करते हुए उसका सुधार करना।	
निदेशक मंडल	निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों को सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है। निदेशकों की कुल संख्या कंपनी के निदेशक मण्डल में दी गई है।	
निदेशक मंडल का गठन	**निदेशकों की शंख्या**	**नाम**
		श्री सौगत मित्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30-06-2016 तक)
		ब्रिगेडियर बी डी पाण्डेय, एसएम (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (16-08-2016 से 31-07-2017 तक)
		श्री सुंदर बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01-09-2017 से) निदेशक (तकनीकी) के तौर पर अतिरिक्त प्रभार (09-09-2017 से)
		श्री सौगत मित्रा निदेशक (वित्त) (09-07-2016 तक)
		श्री ए एम मनीचन उपसचिव-आईएफडब्ल्यू एवं निदेशक (वित्त) (27-07-2016 से 16-03-2017 तक)
		श्री रितेंद्र कुमार मित्रा निदेशक (वित्त) 25-10-2017 से
		श्रीमती विनीता श्रीवास्तव निदेशक, भाउवि, सरकारी नॉमिनी (16-03-2017 तक)
		श्रीमती परवीन गुप्ता उप सचिव, भाउवि, सरकारी नॉमिनी निदेशक (16-03-2017 से)

24

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">श्रीमती बेला बनर्जी, आई आर ए एस,
अंशकालिक गैर सरकारी निर्दशक (03-06-2016 से) सरकार द्वारा नियुक्त</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">श्री तापस कुमार चटर्जी
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (03-06-2016 से) सरकार द्वारा नियुक्त</td></tr>
<tr><td rowspan="8">अयोजिक बैठक
निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति</td><td rowspan="4">वर्ष के दौरान
आयोजित निदेशक मंडल
की बैठकें</td><td>01.</td><td colspan="2">जून 24, 2016</td></tr>
<tr><td>02.</td><td colspan="2">सितंबर 13, 2016</td></tr>
<tr><td>03.</td><td colspan="2">अक्टूबर 25, 2016</td></tr>
<tr><td>04.</td><td colspan="2">जनवरी 09, 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="4">वर्ष के दौरान
आयोजित लेख परीक्षा
समिति की बैठकें</td><td>01.</td><td colspan="2">जून 24, 2016</td></tr>
<tr><td>02.</td><td colspan="2">सितंबर 13, 2016</td></tr>
<tr><td>03.</td><td colspan="2">कोइ लेखा परीक्षा बैठक नहीं</td></tr>
<tr><td>04.</td><td colspan="2">जनवरी 09, 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="8">बैठकों में उपस्थिति
(निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति)</td><td colspan="2">नाम</td><td>बैठकों में उपस्थिति</td><td rowspan="2">पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति जो 25 अक्टूबर 2016 को आयोजित हुई</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>निदेशक मंडल</td><td>लेखा परीक्षा समिति</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्री एस मित्रा</td><td>01</td><td>01</td><td>जी नही</td></tr>
<tr><td colspan="2">बिग्रे. बी० डी० पाण्डेय</td><td>03</td><td>01</td><td>जी हाँ</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्रीमती विनीता श्रीवास्तव</td><td>02</td><td>02</td><td>जी नहीं, श्री इंदरजीत सिंह,
अवर सचिव एवं सरकारी नॉमिनी उपस्थित हुए</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्री ए. एम. मनीचन</td><td>02</td><td>02</td><td>जी नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्रीमती बेला बनर्जी</td><td>02</td><td>02</td><td>जी नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्री तापस कुमार चटर्जी</td><td>04</td><td>04</td><td>जी हाँ</td></tr>
<tr><td>लेखापरीक्षा समिति</td><td colspan="4">भूमिका एवं विचारार्थ विषय :
सार्वजनिक उद्यमों पर निगमित अभिशासन के दिशा-निदेशों के पैरा 4.2 के अधीन उल्लिखित विशिष्ट मामलों में उपस्थित होना।
प्रबंधन सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा निदेशक मंडल के मध्य सम्पर्क के रूप कार्य करना।
वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का आकलन करना।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">गठन, बैठकें एवं उपस्थिति</td><td colspan="2">निदेशकों के नाम</td><td colspan="2">बैठक में उपस्थित हुए - 2016-2017</td></tr>
<tr><td colspan="2">ब्रिगे. बी. डी. पाण्डेय</td><td>आयोजित बैठकें - 04</td><td>उपस्थिति - 03</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्री एस मित्रा</td><td>आयोजित बैठकें - 04</td><td>उपस्थिति - 01</td></tr>
<tr><td colspan="2">श्रीमती विनीता श्रीवास्तव</td><td>आयोजित बैठकें - 04</td><td>उपस्थिति - 02</td></tr>
</table>

25

	श्री ए. एम. मनीचन	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 02
	श्रीमती बेला बनर्जी	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 02
	श्री तापस कुमार चटर्जी	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 04

निदेशक मंडल की अन्यान्य समितियां	समीक्षाधीन बर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति गठित करने के अलावा अन्य समितियाँ नियुक्त की है। इन समितियों का ब्यौरा निम्नलिखित है : निगमित सामाजिक दायित्व समिति पारिश्रमिक समिति निगमित अभिशासन समिति पणधारी संबंध समिति प्रबंधन समिति उपर्युक्त प्रत्येक समिति मे अन्य निदेशक सदस्य हैं एवं जिसके प्रमुख स्वतंत्र निदेशक है।
स्वतंत्र निदेशकगण	आपकी कंपनी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त की है जिन्हें संबंधित क्षेत्र/पेशे मे विशेषज्ञता/अनुभव प्राप्त है। स्वतंत्र निदेशकों का प्रोमोटरों से न संपर्क है और न ही संबंध है और कंपनी से किसी आर्थिक संबंध भी नहीं है तथा आगे कंपनी की कुल मत देने की क्षमता से दो प्रतिशत या अधिक धारित नहीं करती है। स्वतंत्र निदेशक से इस आशय की घोषणा हासिल की जाती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशक की विशिष्टता पूर्ण करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए शुल्क की राशि निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है एवं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहीत सीमा के अंदर है।
आचार संहिता	निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का प्रारूप यथावर्णित, क्रियान्वित कर दी गयी है।

साधारण निकाय की बैठक

पिछले तीन सालों की वार्षिक साधारण बैठकों की विवरणी

वित्तीय वर्ष	**दिनांक**	**समय एवं स्थान**	**विशेष संकल्प**
2013-2014	29 अक्टूबर, 2014	12:30 बजे ए वाई सी एल, कोलकाता	शून्य
2014-2015	30 दिसंबर, 2015	12:30 बजे ए वाई सी एल, कोलकाता	हाँ
2015-2016	25 अक्टूबर, 2016	14:00 बजे बीबीजे, अलीपुर कार्यालय, कोलकाता	शून्य

वार्षिक साधारण बैठक–2016	कंपनी के सदस्यों की 30 वीं वार्षिक साधारण बैठक 25 अक्टूबर, 2016 को आयोजित हुयी। दिनांक 30 सितम्बर, 2016 से आगे बैठक आयोजित करने के संबंध में समय बढ़ाने की अनुमति कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त कर ली गयी थी, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 वांछित है।
वार्षिक साधारण बैठक–2017	कंपनी के सदस्यों की 31 वीं वार्षिक साधारण बैठक 30 सितंबर, 2017 के बाद होगी जिसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में यथापेक्षित समय बढ़ाने की अनुमति कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त कर ली गयी थी।

26

अन्य प्रकटीकरण	निदेशकों या उनके सगे संबंधियों के साथ लेन-देन जिसमें कंपनी के स्वार्थ में विवाद की संभावना है।	शून्य
	संबद्ध पार्टी के लेन-देन (एएस 18) करना।	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों के साथ संलग्न द्रष्टव्य में बतायी गयी।
	कंपनी की तरफ से अनुपालन न करना या इसके उपर लगाए गए प्रतिबंधों	शून्य
	व्हिसिल ब्लोअर नीति एवं पुष्टि की किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति तक पहुँचने में बाधा नहीं दी गयी है।	हम स्वीकार करते है कि किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति की कार्यवाही तक पहुँचने में बाधा नहीं दी गयी है।
	इन मार्गदर्शनों की जरुरतों का अनुपालन करने का विवरण	अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुपालन किया गया है। चूँकि, सरकार के, नियुक्ति के मामले में रिपोर्ट की गयी है इसलिए आंशिक अनुपालन किया गया।
	इस साल और पिछले तीन सालों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रपति के निदेशों का विवरण और उसका अनुपालन।	अनुपालन के लिए कोई निर्देश लंबित नहीं है।
	लेखों में दिखाई गई खर्चों की मदें जो व्यवसाय के लिए नहीं थी।	शून्य
	निदेशक मण्डल और शीर्षस्थ प्रबंधन के व्यक्तिगत खर्च के लिए किया गया व्यय	शून्य
संप्रेषण के साधन	• चूँकि कंपनी द्वारा जारी शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं इसलिए त्रैमासिक नतीजा किसी भी अखवार में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। • वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर दिखाया गए हैं। • पत्राचार का पता— 27, सर राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700001	
लेख-परीक्षा के क्वालिफिकेशन्स	कंपनी का प्रयास है कि अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की दिशा में कंपनी कदम उठाए। कोई क्वालिफाईड होने पर उसके समर्थन में पर्याप्त व्याख्या दी गयी है, अन्यथा प्रबंधन के उत्तर के जरिये क्वालिफिकेशन को समर्थन दिया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर कोई लेखा परीक्षा के अनुसार क्वालिफिकेशन संलग्न है।	
प्रशिक्षण	कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण किया जाता है।	
नियमित अभिशासन लेखा परीक्षा	सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखे का परीक्षण किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ तथा निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया।	

27

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27 आर एन मुखर्जी रोड
कोलकाता–700001

हमने, भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अधीन अनुलग्नकों (यहाँ तत्पश्चात् मार्गनिर्देशों के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी 'किए गए केन्द्रीय लोक उद्यमों 2010 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशानिर्देशों' में बताये अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए दिशानिर्देशों में बताये कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के तरीकों एवं कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, विहित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित प्रभावोत्पादकता की किसी कार्यक्षमता को बताता है।

कृते बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301007 ई
(अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)
भागीदार
(सदस्य सं॰ 062465)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 नवम्बर, 2017

28

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सदस्यगण,

एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन :

1. हमने दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2017 को यथा स्थित तुलन-पत्र संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते, नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के तहत उल्लेख किये लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह के सच्चे एवं निष्पक्ष विचार देने हो के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताये गये मामले के लिए जिम्मेदार हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियममितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू करना; युक्तिसंगत एवं दूरदर्शी निर्णय करना एवं अनुमान करना एवं लेखांकन रिकार्ड की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से चलने वाली पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं रखरखाव शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से होनेवाली वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त सही एवं स्वच्छ विचार व्यक्त करता हो वित्तीय विवरणों की तैयारी करने एवं प्रस्तुतीकरण के अनुरूप हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारी परीक्षा पर आधारित इन एकल वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

4. हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं परीक्षा मानकों एवं अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन तैयार की गयी नियमों के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की जाने वाली उन विषयों को ध्यान में रखा है।

5. हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अन्य लेखा प्राधिकारिक उद्घोषणाएँ के अधीन बतायी गयी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में और घोषणाओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं योजना बनाएं तथा उचित आश्वासन हासिल करने के लिए इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हों।

6. लेख परीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशि एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करने वाली प्रक्रियाएं होती है। लेखा परीक्षक के निर्णय पर चयनित कार्यप्रणाली वित्तीय विवरणों के वस्तुपरक गलतबयानी की जोखिम समेत चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, निर्भर करता है। उन जोखिम वाले आकलनों को करने में लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो कंपनी के वित्तीय विवरणों के तैयार करने के अनुरूप हो जिसे लेखा परीक्षा तरीकों के डिजाइन बनाने के लिए सही एवं स्वच्छ तस्वीर बने एवं वे हालात के उपयुक्त हों परंतु यह मत व्यक्त नहीं करने के उद्देश्य से हो कि कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन देने के पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति हैं एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा लेखांकन अनुमानों का औचित्य के साथ वित्तीय विरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्याकंन शामिल है।

29

7. हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे योग्य लेखा परीक्षा मत के लिए उचित पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

योग्य अभिमत हेतु आधार :

8.01(क) नोट 29 के अनुच्छेद-11 (वित्तीय विवरणों की अन्यान्य टिप्पणियों) में जैसा बताया गया है कि 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां' (नोट-14) शीर्ष के तहत दिखायी गयी 6813.44 लाख रु. (31.03.2016 को 6813.44 लाख रु.) की राशि जेसप एण्ड कंपनी लि. की 6,81,34,428 सं इक्विटी शेयरों के विनिवेश के नॉमिनल मूल्य दिखाता है। इस निवेश के विरुद्ध 1,818. 00 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी एवं जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में भारत सरकार को पूर्ववर्ती भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा लौटा दी गयी थी। भारत सरकार से कोई अनुदेश प्राप्त न होने पर कम हुई उगाही से 4,955.44 लाख रु. (31.03.2016 को 4995.44 लाख रु.) की परिमाणिक हानि के लिए लेखे में आवश्यक प्रावधान नहीं किया जा सका है।

8.01(ख) अगर अनुच्छेद 8.01(क) में दिए गए अवलोकनों को लेखे में विचार किया जाता तो 2804.16 लाख रु. (31.03.2016 को 6888.57 लाख रु.) की कर पूर्व प्रतिवेदित लाभ के विरुद्ध वर्ष में 2191.28 लाख रु. (31.03.2016 को समाप्त पूर्ववर्ती 1893.13 लाख रु.) हानि हुई होती, लाभ और हानि खाता के 15988.25 लाख रु. (31.03.2016 को 15121.42 लाख रु.) की प्रतिवेदित जमा शेष के विरुद्ध लाभ और हानि खाता के शेष जमा 10992.81 लाख रु. (31.03.2016 को 10125.98 लाख रु.) होता एवं वसूली योग्य अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियॉ दावे 6813.44 लाख रु. (31.03.2016 को 6813.44 लाख रु.) के प्रतिवेदित आंकड़े के विरुद्ध 1818.00 लाख रु. (31.03.2016 को 1818.00 लाख रु.) की होती।

8.02(क) ऊपर (8.01) में जैसा बताया गया है जेसप एण्ड कंपनी लि. में इक्विटी शेयरों के विनिवेश हो जाने के फलस्वरूप, कंपनी अभी भी निवेश के रूप में 31 मार्च, 2017 को स्थित (31.03.2016 को 2558.01 लाख रु.) उक्त कंपनी में निवेश के रुप में 2558.01 लाख रु. मूल्य की शेष 2,55,80,122 सं. इक्विटी शेयर धारित करती है।

31 मार्च, 2017 को स्थित निवेश के रूप में धारित उन शेयरों का बाजार दर न होने से उसी तारीख को उन शेयरों के मूल्य में ह्रास, यदि है तो विनिर्धारण योग्य नहीं है। अतएवं इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

8.02(ख) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड की इक्विटी शेयरों के नॉमिनल मूल्य 10/- रु. से घटा कर रु.1/-कर देने के लिए एएआईएफआर के आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में दाखिल रिट याचिका के निपटारे लंबित रहने से, नोट सं.-29 के अनुच्छेद-12 (वित्तीय विवरणों की अन्यान्य टिप्पणियाँ) के अनुसार, कंपनी के विनिवेश की उगाही मूल्य पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

8.03 31 मार्च, 2017 (द्रष्यव्य 13 में) को स्थित 99 सं० आई सी आई सी आई मनी मल्टीप्लायर बॉण्ड-2016 के बाजार मूल्य मौजूद न होने से निवेश के स्थायी और भौतिक कमी, यदि कुछ होता है तो, 53 लाख रुपये (31 मार्च 2016 को-53 लाख रु०) की खाता मूल्य राशि पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

8.04 31 मार्च, 2016 तक समापन के अधीन सहायक कंपनियों के भारत सरकार के ऋणों पर 6795.90 लाख रु. (31.03.2016 को 6795.90 लाख रु.) के ब्याज के संबंध में नोट-29 के अनुच्छेद-13 (वित्तीय विवरणों की अन्यान्य टिप्पणियॉ) की उगाही पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। फिर भी, कंपनी के वित्तीय वर्ष की प्रतिवेदित लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं हैं।

8.05 कंपनी की सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (समापन के अधीन) (द्रष्यव्य 13) में 486.30 लाख रु. (31.03.2016 को 486.30 लाख रु.) कंपनी की निवेशों के राशि की वसूली मूल्य एवं इन कंपनियों [कृपया-नोट-29 के अनुच्छेद सं. 9 (वित्तीय विवरणों की अन्यान्य टिप्पणियाँ देखें)] से ऋणों तथा अग्रिमों और दूसरे बकाये की संभावना या वसूली के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती।

30

8.06 देनदारों, लेनदारों, ऋणों, अग्रिमों एवं जमा की शेष संपुष्टि के उपलब्ध रहने से नोट–29 के पैरा सं. 21 (वित्तीय विवरणों की अन्यान्य टिप्पणियाँ) एवं पुष्टि राशि निश्चित नहीं की जा सकती और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।

8.07 दि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 30,000 रुपये को निवेश पर 300 इक्विटी शेयरों एवं ईस्ट इंडिया क्लिनीक लिमिटेड में 16,000/- रुपये के निवेश पर 5% अप्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक हमारे भौतिक जाँच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए, हम उसके भौतिक अस्तित्व पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

योग्य अभिमत :

9. हमारी राय में उपर्युक्त अनुच्छेद 'योग्य अभिमत हेतु आधार' में व्याख्यायित विषयों के प्रभाव को छोड़कर और सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा यथापेक्षित सूचनाएँ एवं भारत में साधारणत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को स्थित कंपनी मामले में तुलन–पत्र एवं इसकी लाभ एव उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण का सत्य एवं सही रूप प्रदान करती है।

विषयों का महत्व

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :—

10.1 अन्य वर्तमान देयताएँ में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में समुद्रपारीय ग्राहक गेबन सरकार से प्राप्त एक परियोजना कार्य जो 2011 से बंद पड़ी है हेतु शेयर मोबिलाइजेशन के विरुद्ध 380.75 लाख रु. की राशि शामिल है। कंसोरटियम से जिसमें कंपनी ग्राहक के साथ एक भागीदार है काम बंदी के उपरांत बाहर आने संबंधी सभी विचारवस्तुओं के अंतिम स्वरूप देना लंबित पड़े रहने से देयता यदि हो, तो वह सुनिश्चित या तय नहीं की जा सकती है (संदर्भ नोट 29 का अनुच्छेद सं.–15)

10.2 भारत सरकार, निगमित मामले मंत्रालय ने दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) एवं भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 (2) के साथ पठित धारा 394 के अधीन इस निदेश के साथ एकीकरण की योजना को मंजूरी दी है कि कथित योजना के प्रभावी होने की नियत तिथि 01.04.2015 होने पर इस योजना से हस्तांतरिती एवं हस्तांतरणकर्ता कंपनी एवं सभी संबंधित आबद्ध रहेंगे। तदनुसार लेखे को वित्तीय वर्ष 2015-16 के समेकित वित्तीय विवरणों के प्रारंभिक शेष आंकड़ों का विचार करते हुए तैयार किया गया है। एकीकृत हो जाने के बाद कंपनी का नाम 18 नवंबर 2015 से प्रभावी भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड से बदल कर दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी निमिटेड हो गया। [टिप्पणी–29 के अनुच्छेद सं.–1 और 2 (वित्तीय विवरणों की अन्यान्य टिप्पणियों) का संदर्भ लें ॥]

इन मामलों मे हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामकीय आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

11. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित, हम आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विशेषित विषयों पर विवरण अनुलग्नक–I में प्रदान करते हैं।

12. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन दिनांक 10.03.2016 के संदर्भ सं. 2382 कोआर्डर/एकाउंट्स/डाइरेक्टर/2016-17 के जरिए दिए गए निदेशों के लिए हम अनुलग्नक–II में वहाँ बताएं गए विषयों पर विवरण देते हैं।

31

13. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट देते हैं कि–

(क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु मांगने पर सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए हैं;

(ख) हमारी राय में, बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है कंपनी द्वारा विधि सम्मत यथोचित लेखा पुस्तकें रखी गयी हैं;

(ग) इस प्रतिवेदन के जरिए व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा–133 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–7 के तहत बताये लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है;

(ङ) हमारी राय में, ऊपर अनुच्छेद योग्य मत हेतु आधार पर व्याख्यायित विषयों का कंपनी के क्रियाकलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है;

(च) सरकारी कंपनी होने से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं इन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के बारे में 'अनुलग्नक–III' में दिए हमारे रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारा प्रतिवेदन कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालन प्रभावकारीता पर एक असंशोधित मत व्यक्त करता है।

(ज) हमारी राय में, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य विषय हैं;

(i) कंपनी ने लंबित मामलों के इसकी एकल वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा की है –एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–26 को अनुच्छेद–29 का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालीन विनिर्माण ठेका ली है। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की दीर्घावधि ठेके की गैरनिष्पादित अंश पर भविष्य में होने वाली 60.16 लाख रु० (पूर्ववर्ती वर्ष 238.66 लाख रु.) की हानि लेखा में किया गया हैं। कंपनी कोई व्युत्तपन्न ठेका में प्रवेश नहीं की है। (टिप्पणी–24)

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कोई राशि स्थानान्तरित नहीं करना था।

(iv) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में होल्डिंग्स के बारे में साथ ही 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों के लेन देन के बारे में अपेक्षित प्रकटीकरण की है। लेखा परीक्षा पद्धतियों पर आधारित एवं प्रबंधन के प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हुए हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी द्वारा प्रकटीकरण लेखा खाते के अनुसार किया गया है एवं प्रबंधन द्वारा जैसा हमें प्रस्तुत किया गया है। (39 की टिप्पणी–37 देखें)

कृते बी सी कुण्डू एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.–301007 ई
(अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)
सदस्यता सं.–062465

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 नवंबर, 2017

32

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

[31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के उसी दिनांक के प्रतिवेदन के ''अन्य विधिक एवं विनियामकीय आवश्यक्ताओं'' शीर्ष के अधीन अनुच्छेद-11 में संदर्भित]

हम प्रतिवेदन देते हैं कि—

1. (क) कंपनी स्थायी परिसंपत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करते हुए यथोचित अभिलेख रखी हैं।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल से किया गया है एवं कहा जा सकता है कि इस जांच में कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

   (ग) भवन में कोलकाता पत्तन न्यास से लाइसेंस करारनामा के तहत सर्कुलर गार्डेन रीच रोड, कोलकाता में जमीन पर स्थायी संरचना (2.42 लाख रु राशि की) शामिल है। कंपनी नियमित रुप से पट्टे का किराया दे रही है परंतु हमें बैनामा/करारनामें की प्रतियां नहीं प्रस्तुत की गयी है।

2. हमे दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन ने उचित अंतराल पर मालसूची का भौतिक सत्यापन कराया है और सत्पापन से कोई भौतिक फर्क नहीं पाया गया है।

3. हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-189 के तहत रखी गई पंजी के अधीन आनेवाली कंपनियों, फर्म एवं अन्य पार्टियों को/न ही किसी किस्म का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश की अनुच्छेद-3 की उप-धाराएँ (iii) (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

4. कंपनी धारा-185 की दृष्टि से किसी सौदे में शामिल नहीं है एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के अधीन आनेवाली लेन-देन के संबंध में कोई ऋण या कोई गारंटी या जमापत्र नहीं दी है। इसलिए कंपनी पर कथित आदेश के अनुच्छेद-3 का खंड (iv) प्रयोज्य नहीं है।

5. कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं की है।

6. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अधीन लागत अभिलेख रखने को नहीं कहा है, तथापि कंपनी लागत अभिलेख रखती है।।

7(क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा पुस्तकों एवं अभिलेखों की जांच पर आधारित कंपनी भविष्य-निधि, राज्य बीमा, आय-कर, विक्रय-कर, सेवा-शुल्क, सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, उपकर एवं अन्य भौतिक सांविधिक बकायों समेत 31 मार्च, 2017 को स्थित देय तारीख से छः माह अधिक की अवधि तक बकाया रहने वाली निम्नलिखित मामलों को छोड़कर इस पर यथाप्रयोज्य अविवादित सांविधिक बकाया यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रुप से जमा करती रही है। जैसा कि हमें बताया गया है कंपनी के पास संपत्ति कर का कोई बकाया नहीं था।

क्रम सं०	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	संबंधित अवधि
(i)	कर्मचारी भविष्य निधि	17.24	पुरानी बकाया
(ii)	पेशा कर	0.40	पुरानी बकाया
(iiii)	टी सी एस	0.15	पुरानी बकाया
(iv)	देय सेवा कर (पूर्ववर्ती बीबीयूएनएल से संबंधित)	1.94	पुरानी बकाया जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

33

7(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा पुस्तकों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, यथाप्रयोज्य, आय–कर, विक्रय–कर, भविष्य निधि के बकाये का ब्यौरा नीचे दे रहें हैं, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया एवं पीठ जहां विवाद लंबित है :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि (वि. व.)	जिस पीठ में विवाद लंबित है/खारिज हो गया	राशि (रु./लाभ)
(i)	पं. बं. विक्रय–कर	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त	4.30
(ii)	बिहार विक्रय–कर	कार्य ठेका कर	2010-11	संयुक्त आयुक्त	33.25
(iii)	बिहार विक्रय–कर	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त	30.98
(iv)	सेवा–कर, दण्ड और ब्याज समेत	सेवा–कर मांग, धारा–75 के तहत ब्याज (राशि तय नहीं + निर्धारित दण्ड	2007-08 से 2011-12	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा–कर अपीलीय ट्राइब्यूनल	154.45
(v)	आय–कर	आय–कर मांग	2007-08	सीआईटी (अपील) XII कोलकाता	69.25
(vi)	आय–कर	आय–कर मांग	2008-09	आय–कर अपीलेट ट्राइब्यूनल	0.16
(vii)	आय–कर	आय–कर मांग	2009-10	आय–कर अपीलेट ट्राइब्यूनल	3.04
(viii)	आय–कर	आय–कर मांग	2011-12	सीआईटी (अपील) 4 कोलकाता	6.34
(ix)	पश्चिम बंगाल वाणिज्य कर	प. बं. कार्य ठेका कर	2014-15	अपीलीय प्राधिकारी	137.48
(x)	कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	हरजाना / ब्याज देय	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता, पं. बंगाल	54.14
(xi)	प. ब. विक्रय कर	कार्य ठेका कर	1992	वाणिज्य कर विभाग	4.26
(xii)	प. ब. वैट	कार्य ठेका कर	2005-2006	अपीलेट प्राधिकारी	542.00
(xiii)	प. ब. वैट	कार्य ठेका कर	2006-2007	अपीलेट प्राधिकारी	127.75
(xiv)	दिल्ली विक्रय कर	कार्य ठेका कर	2004-2004	वाणिज्यिक कर विभाग	19.36
(xv)	आय कर	फ्रिंज लाभ कर	2005-2006	अपीलेट प्राधिकारी	1.16
(xvi)	आय कर	आय कर मांग	1999-2000	आयकर अपीलेट ट्राइब्यूनल	85.88

8. कंपनी बैकों से ओवरट्राफ्ट उधारी के पुनर्भुगतान करने में कोई बकाया नहीं रखी है एवं प्रतिबंधित प्रस्ताव से शून्य दर ऋणपत्र निर्मित किया है।

9. केंद्र सरकार (100%) के स्वामित्व में सरकारी कंपनी होने के नाते कोई शुरुआती सार्वजनिक ऑकत या आगे सार्वजनिक आफत नहीं दी गयी है।

34

10. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार रखी गयी कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जाँच करने के दौरान एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान हमने कोई कंपनी द्वारा या भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी या रिपोर्ट की गयी है न हमें प्रबंधन द्वारा ही ऐसे किसी मामले की सूचना दी गयी है।

11. यह केंन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत स्वामित्व में सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक मंडल के सदस्यों, यथा–कार्यपालक, गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति भारी उद्योग विभाग द्वारा की जाती है, अतएवं धारा–197 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

12. कंपनी निर्माण क्रियाकलपों में लगी हुयी है एवं कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, इसलिए कथित आदेश के अनुच्छेद 3 की उप धारा (xii) प्रयोज्य नहीं हैं।

13. यह हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय में कंपनी संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन में तथा लेखांकन मानदण्डों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में खुलासा की गयी संबंधित पार्टियो के लेन–देन में, जहॉ प्रयोज्य है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 एवं 177 का अनुपालन करती है।

14. वर्ष के दौरान कंपनी के केंद्रीय सरकार की शत प्रतिशत स्वामित्व में सरकारी कंपनी होने की वजह से शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं किया गया है एवं इसलिए कथित आदेश के अनुच्छेद 3 की उप धारा (xiv) के अधीन रिपोर्टिंग करना प्रयोज्य नहीं है।

15. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तया हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी निदेशकों या नियंत्रक, सहायिका या सहयोगी कंपनी के निदेशकों के साथ यथा प्रयोज्य या उनसे संबंधित लोगों के साथ कोई नकद लेन–देन नहीं की है और इसलिये कंपनी अधिनियम, 2013 की 192 के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते बी सी कुण्डू एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.–301007 ई
(अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)
सदस्यता सं.–062465

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 नवंबर, 2017

35

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (वित्तीय वर्ष 2016-17) के संबंध में
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के निदेशानुसार उसी तारीख के हमारे रिपोर्ट ''अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यक्ताओं पर प्रतिवेदन'' शीर्षक के अधीन अनुच्छेद-12 में संदर्भित]

क्रम संख्या	निदेश
1.	क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्ववाली एवं पट्टे वाली जमीन के लिए स्पष्ट स्वामित्व/पट्टे का विलेख है ? यदि नहीं तो पूर्ण स्वामित्ववाली एवं पट्टे वाली जमीन का कितने क्षेत्र का स्वामित्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है ?
	कारखाना यथा सर्कुलर गार्डेन रिच रोड, कोलकाता में ''हैवी यार्ड प्लांट'' (रु 108.75 लाख, भवन शीर्ष के तहत सकल ब्लॉक) 1953.56 वर्ग मिटर जमीन कोलकाता पत्तन न्यास से ली गयी है, जिसके लिए कंपनी नियमित रूप से किराया का भुगतान कर रही है परंतु विलेख/करारनामें की प्रति उपलब्ध नहीं है/हमें नहीं प्रस्तुत की गयी है।
2.	क्या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के अधित्याग करने/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है, यदि हाँ तो उसके कारण एवं सम्मिलित राशि पर कृपया रिपोर्ट दें।
	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ठेका लेने वालों द्वारा गारंटी उठा लेने सुरक्षा जमा (शुद्ध)- 4.63 लाख रु. अधित्याग करने पर 78.27 लाख रु. की राशि बट्टे खाते डाली गयी है।
3.	क्या तीसरी पार्टियों के पास रहने वाली मालसूचियों एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के तौर पर प्राप्त संपत्तियों के बारे में समुचित अभिलेख रखा गया है।
	हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच करने पर आधारित तीसरी पार्टियों के पास कोई मालसूचियाँ नहीं है। प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि कंपनी उपहार के तौर पर कोई संपत्ति प्राप्त नहीं की है।

कृते बी सी कुण्डू एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.-301007 ई
(अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)
सदस्यता सं.-062465

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 नवंबर, 2017

36

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-III

(इसी तारीख की हमारे अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के अधीन अनुच्छेद **13** (छ) का संदर्भ लें)
कंपनी अधिनियम, **2013** (अधिनियम) की धारा–**143** की उप धारा–**3** की खंड–**(i)** के तहत
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

कंपनी का प्रबंधन, इन्सिट्च्यूट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बतायी गयी आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक संघटकों का विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग विवरण मानदण्ड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का स्वरूप, क्रियान्वयन एवं रख रखाव शामिल है जो क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित व्यापार संचालन सुनिश्चित के लिए प्रभावी रूप से चल रही थी, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाघड़ी या त्रुटियों की खोज करने सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता एवं इसके समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ तैयार करना है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं उसकी प्रक्रिया पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा के बारे में विचार व्यक्त करना है। हमने इन्सिट्च्युट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (''मार्गनिर्देश टिप्पणी'') एवं लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश एवं जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रयोज्य है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन बतायी गयी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की दै। उन मानकों एवं मार्गनिर्देश टिप्पणी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं योजना बनाएं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं किये गये रख रखाव के बारे में उचित आश्वासन हासिल करने के लिए इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि ये नियंत्रण सभी वस्तुपरक तौर पर प्रभावी रुप से संचालन कर रही थी।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं उसकी प्रचालन प्रभावोकारिता की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करने वाली प्रक्रिया होती हैं। हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में जोखिम वाली वस्तुपरक कमजोरियों एवं जांच तथा स्वरूप का मूल्यांकन एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का प्रचालन प्रभावोकारिता वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है। लेखा परीक्षकों के फैसले पर वित्तीय विवरणों, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हो, की गलतबयानी की जोखिम का मूल्यांकन समेत चयनित प्रक्रिया निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेख परीक्षा साक्ष्य कंपनी की आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

37

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का मतलब :

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनियता तथा साधारणत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्धेश्यों के लिए तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन देने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियाँ एवं पद्धतियाँ शामिल है—(1) अभिलेखों के रख रखाव के बारे में जिसमें उचित विवरण कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं स्वभाव का सठीक सच्चा ब्यौरा हो, (2) साधारणत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक अनुमति मिले कि लेन देन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता हो एवं कंपनी का आय और व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार से किया जाता है एवं (3) अप्राधिकृत प्राप्तियों की रोकथाम एवं समय से पता लगाने का कंपनी की परिसंपत्तियों के इस्तेमाल या स्वभाव का आश्वासन हासिल करे जिसका वित्तीय विवरणों पर वस्तुपरक प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की बाधाओं के कारण जिसमें टकराहट की संभावना या नियंत्रण का अपर्याप्त प्रबंधन, त्रुटियों या धोखा से वस्तुपरक गलतबयानी का पता नहीं चल सकता। भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भी जो जोखिम समेत है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाता है क्योंकि स्थितियां बदल गयी है या नीतियों के अनुपालन का मान या प्रक्रिया में गिरावट हो।

मत :

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कंपनी द्वारा स्थापित इन्सिट्च्यूट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑप इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गनिर्देश टिप्पणी की आवश्यक संघटकों को विचार करते हुए मानदण्ड सब रूप में पर्याप्त वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है एवं 31 मार्च 2016 को स्थित इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

कृते बी सी कुण्डू एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.-301007 ई

(अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)
सदस्यता सं.-062465

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 नवंबर, 2017

38

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विनिर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा-139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा-114 के तहत विनिर्धारित लेखा परीक्षा के मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा-143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय प्रतिवेदनों पर मंतव्य प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 13 नवंबर, 2017 में बताया गया है कि उनके द्वारा यह किया गया है।

मैनें, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपुरक लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा-143 (6) (क) के अधीन नहीं करने का निर्णय किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-1, कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 नवंबर, 2017

39

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

40

लेखा का विवरण

31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016को	
I इक्विटी एवं देयताएँ					
1. **शेयरधारकों के कोष**					
(क) शेयर पूंजी	1	10373.05		10373.05	
(ख) पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा	1 क	1388.00	11761.05	1388.00	11761.05
(ग) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	17765.63		16766.43	
2. शेयर आवेदन का धन-आबंटन लंबित है	2 क	325.01	18090.64	325.01	17091.44
3. **गैर वर्तमान देयताएँ**					
(क) दीर्घ-मीयादी ऋण	3		664.62		714.62
(ख) अन्य देयताएँ	5		0.00		0.00
(ग) दीर्घ मियादी प्रावधान	6		14.48		21.59
4. **वर्तमान देयताएँ**					
(क) अल्पकालीन ऋण	7		7270.70		6854.54
(ख) व्यापार में देय	8		5192.73		5211.83
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	9		35301.44		35211.12
(घ) अल्प कालीन प्रावधान	10		1470.03		2110.21
कुल			**79765.69**		**78976.40**
II परिसंपत्तियाँ					
1. **गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ**					
(क) स्थायी परिसंपत्तियाँ					
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	11	530.38		581.86	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12	0.84		2.13	
		531.22		583.99	
(iii) पूँजीगत प्रगतिधीन कार्य		11.05	542.27	11.05	595.04
(ख) गैर वर्तमान निवेश	13		3139.97		3139.97
(ग) अन्य और वर्तमान निवेश	14		6852.42		6852.42
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ :					
2. **वर्तमान परिसंपत्तियाँ**					
(क) मालसूची	15	4018.41		2407.88	
(ख) व्यापार प्राप्य	16	549.25		549.01	
(ग) नकद एवं नगद समकक्ष	17	18909.22		19889.21	
(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	8064.37		7997.65	
(ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	19	37689.78	69231.03	37545.22	68388.97
कुल			**79765.69**		**78976.40**
लेख पर द्रष्टव्य	29				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	30				

उपरोक्त संदर्भित द्रष्टव्यों तुलन-पत्र के अभिन्न अंग हैं।

उसी तारीख को हमारे रिपोर्ट को संदर्भ में है।

कृते बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301007 ई
(स.ले.-अरुपदर्शी मुखोपाध्याय)भागीदार (सद सं. 062465)
स्थान : कोलकाता, दिनांक : 13-11-2017

निदेशक मण्डल की ओर से
सुंदर बनर्जी, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार
आर के मित्रा, निदेशक (वित्त)
जी. सी. जश, *महाप्रबंधक (वित्त)*
एस. के. भट्टाचार्य, *कंपनी सचिव*

42

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016को
आय :			
प्रचालन से राजस्व	20	8916.24	14977.80
अन्य आय	21	1491.51	2030.48
कुल राजस्व		**1040.75**	**17008.28**
व्यय :			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	22	2826.29	2901.34
(वृद्धि)/घटाएँ-प्रगतिधीन कार्य	23	(1611.48)	(1789.01
कर्मचारी हित खर्चे	24	1501.10	1669.06
वित्त लागत	25	79.89	48.32
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	26	117.10	115.42
अन्य खर्च	27	4690.69	7174.58
कुल राजस्व		**7603.59**	**10119.71**
असामान्य मदों के पूर्व वर्ष का लाभ		2804.16	6888.57
न्यूनः असामान्य मद	28	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ		**2804.16**	**6888.57**
न्यूनः वर्तमान करों के लिए प्रावधान		1039.20	2448.08
वर्तमान कर पश्चात् लाभ		**1764.96**	**4440.49**
आस्थगित कर		0.00	0.00
कर पश्चात् लाभ		**1764.96**	**4440.49**
कर पश्चात् लाभ तुलन पत्र में लाया गया		**1764.96**	**4440.49**
मूल (रु०) प्रति इक्विटी शेयर आय		170.15	459.91
तनुकृत (रु०) प्रति इक्विटी शेयर आय		146.03	459.91
लेख पर द्रष्टव्य	29		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	30		

उपरोक्त संदर्भित द्रष्टव्यों तुलन-पत्र के अभिन्न अंग हैं।
उसी तारीख को हमारे रिपोर्ट को संदर्भ में है।
कृते बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301007 ई
(स.ले.-अरुपदर्शी मुखोपाध्याय)भागीदार (सद सं. 062465)
स्थान : कोलकाता, दिनांक : 13-11-2017

निदेशक मण्डल की ओर से
सुंदर बनर्जी, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार
आर के मित्रा, निदेशक (वित्त)
जी. सी. जश, *महाप्रबंधक (वित्त)*
एस. के. भट्टाचार्य, *कंपनी सचिव*

43

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	31मार्च, 2017 को	31मार्च, 2016 को
द्रष्टव्य–1		
शेयर पूंजी		
(क) प्राधिकृत, **निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता शेयरों का विवरण**		
प्रधिकृत :		
₹1,000/- प्रत्येक का 34,81,000 इक्विटी शेयर	34,810.00	34,810.00
(₹1,000/- प्रत्येक का 34,81,000 इक्विटी शेयर)		
निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः चुकता		
₹1,000/- प्रत्येक का 10,37,305 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	10,373.05	10,373.05
(₹1,000/- प्रत्येक का 10,37,305 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता)		

(ख)**(i) वर्ष के दौरान चुकता शेयर पूंजी का मिलान**

	2016-2017		2015-2016	
	शेयर संख्या	रकम	शेयर संख्या	रकम
वर्ष के प्रारंभ में बकाया ₹1,000/- प्रत्येक का इक्विटी शेयर	10,37,305	10,373.05	10,37,305	10, 373.05
वर्ष के अंत में बकाया ₹1,000/- प्रत्येक का इक्विटी शेयर	10,37,305	10,373.05	10,37,305	10, 373.05

(ii) कंपनी के समापन होने की दशा में पूंजी पुनर्भुगतान करने के बारे में सभी शेयरों को समान दर्जा प्राप्त है।

(iii) कंपनी की कोई नियंत्रक कंपनी नहीं है।

(ग) शेयर धारकों द्वारा कपनी के 5% से अधिक शेयर धारित का विवरण

शेयर धारकों के नाम	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%
भारत के राष्ट्रपति जी एवं इनके मनोनीतों	10,37,305	100	10,37,305	100
द्रष्टव्य–1(क) पुनर्गठन इक्विटी शेयर जमा इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय ऋणों का लंबित आबेटन (द्रष्टव्य 29 का खंड–4(क))	1388.00		1388.00	

द्रष्टव्य–2		
प्रारक्षित और अधिशेष	**31.03.2017 को**	**31.03.2016 को**
प्रारक्षित पूँजी	0.06	0.06
सामान्य प्रारक्षित :		
पिछले लेखे के अनुसार शेष	1341.29	1008.25
जोड़ें–लाभ व हानि विवरण से अंतरित	132.37	333.04
	1473.66	1341.29
ऋणपत्र विमोचन प्रारक्षित	303.66	303.66

44

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	31मार्च, 2017 को	31मार्च, 2016 को
अधिशेष यानी लाभ व हानि विवरण में शेष :		
पिछले लेखे के अनुसार शेष	15121.42	12617.31
जोड़ें-वर्ष का कर पश्चात् लाभ	1764.96	4440.49
	16886.38	17057.80
घटाएं - परिशोधन		
सामान्य प्रारक्षित	132.37	333.04
ऋणपत्र विमोचन प्रारक्षित	0.00	0.00
प्रस्तावित लाभांश	636.24	1332.15
प्रस्तावित लाभांश पर कर	129.52	271.19
शुद्ध अधिशेष	15988.25	15121.42
	17765.63	**16766.43**
द्रष्टव्य-2 (क)		
शेयर आवेदन धन आबंटन लंबित (द्रष्टव्य 29 का 8)	325.01	325.01
द्रष्टव्य-3		
दीर्घकालीन ऋण		
अप्रतिभूति ऋण		
पुनर्गठन डिबेंचर जमा		
ऋण के शून्य दर पर ऋणपत्रों में परिवर्तित हो जाने पर आबंटन लंबित (द्रष्टव्य 29 का 4(ख) एवं 4(ग))	664.62	714.62
द्रष्टव्य-5		
अन्य दीर्घकालीन देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	0.00	0.00
द्रष्टव्य-6		
दीर्घकालीन प्रावधान		
अवकाश ग्रहण के उपरांत लाभ (आनुतोषिक) (द्रष्टव्य 29 का 27(ख))	14.48	21.59

45

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	31मार्च, 2017 को	31मार्च, 2016 को
द्रष्टव्य–7		
अल्पकालीन ऋण		
प्रतिभूत ऋण (केनरा बैंक में ओवर ड्राफ्ट–मांग पर पुनर्भुगतान) (द्रष्टव्य 29 का 3(क))	474.80	58.64
अप्रतिभूत ऋण		
भारत सरकार से	6795.90	6795.90
	7270.70	**6854.54**
द्रष्टव्य–8		
व्यापार में देय		
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का बकाया (द्रष्टव्य 29 का 27 (क))	0.00	0.00
(ii) अन्य	5192.73	5211.83
	5192.73	5211.83
द्रष्टव्य–9		
अन्य वर्तमान देयताएं		
उधारी पर ब्याज उपचित एवं बकाया (द्रष्टव्य 29 का 13)	34126.59	34127.55
ग्राहकों से अग्रिम (द्रष्टव्य 29 का 15)	680.82	680.55
पुर्गठन ऋण पत्र जमा :		
शून्य दर वाले ऋणपत्रों में परिवर्तनीय ऋण पर वर्तमान परिपक्वताएँ (द्रष्टव्य 29 का 4 (क) एवं (ज))	100.00	50.00
अन्य देयताएं	394.03	353.02
	35301.44	**35211.12**
द्रष्टव्य–10		
अल्पकालीन प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण	284.10	253.61
छु. या. रि के लिए प्रावधान	17.57	17.57
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का शुद्ध)	402.60	235.69
प्रस्तावित लाभांश	636.24	1332.15
निगमित लाभांश कर	129.52	271.19
	1470.03	**2110.21**

46

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

द्रष्टव्य–11

स्थायी परिसंपत्तियाँ

मूर्त स्थायी परिसंपत्तियाँ (₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2016 को	संयोजन	समायोजन/ कटौतियां	31 मार्च 2016 को कुल	1 अप्रैल 2015 तक	वर्ष के लिए	न्यून : बिक्री पर/ समायोजन	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
भवन	109.92	0.00	0.00	109.92	44.46	7.05	0.00	51.51	58.41	65.45
जहाज (स्पीड बोट)	2.32	0.00	0.00	2.32	2.30	0.00	0.00	2.30	0.02	0.01
संयंत्र और मशीनरी	1631.19	58.94	0.00	1690.13	1129.66	103.15	0.00	1232.81	457.32	501.53
फर्नीचर और फिटिंग्स एवं कार्यालय उपकरण	78.02	0.99	0.00	79.01	67.45	2.61	0.00	70.06	8.95	10.57
मोटर वाहन	14.26	0.00	(9.18)	5.08	14.08	0.01	(9.07)	5.02	0.06	0.18
कंप्यूटर हार्डवेयर	72.22	4.50	0.00	76.72	68.11	2.99	0.00	71.10	5.62	4.11
कुल	1907.93	64.43	(9.18)	1963.18	1326.06	115.81	(9.07)	1432.80	530.38	581.86

द्रष्टव्य–12

स्थायी परिसंपत्तियाँ
अमूर्त स्थायी परिसंपत्तियाँ (₹ लाख में)

कप्यूटर सॉफ्टवेयर	7.69	0.00	0.00	7.69	5.56	1.29	0.00	6.85	0.84	2.13
कुल परिसंपत्तियां (अनु. 11+12)	1915.62	64.43	(9.18)	1970.87	1331.62	117.10	(9.07)	1439.65	531.22	583.99
विगत वर्ष	1853.77	129.08	(67.23)	1915.62	1281.36	115.42	(65.16)	1331.62	583.99	
पूँजीगत चालू कार्य									11.05	11.05

द्रष्टव्य : (i) इसमें कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से लाइसेंस के करारनामे के अन्तर्गत सर्कुलर गार्डेन रीच रोड कोलकाता की भूमि पर स्थायी टांचे के संबंध में ₹ 2.42 लाख (गत वर्ष ₹ 2.42 लाख) सम्मिलित है।

47

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

		31मार्च, 2016 को		31मार्च, 2015 को
द्रष्टव्य–13				
गैर वर्तमान निवेश (लागत पर)				
बीपीएमईएल				
₹ 1,000/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 48,630 इक्विटी शेयर (द्रष्टव्य 29 का 5)		486.30		486.30
जेएसपी				
₹ 100/- प्रत्येक की पूर्णत : चुकता 2,55,80,122 इक्विटी शेयर (द्रष्टव्य 29 का 11 एवं 18 (क))		2558.01		2558.01
लगन				
₹ 10/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 4,22,000 इक्विटी शेयर		42.20		42.20
व्यापार निवेश (अनुद्धृत)				
दि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ₹ 100/- प्रत्येक का 300 इक्विटी शेयर	0.30		0.30	
व्यापार में निवेश के अतिरिक्त				
5% अप्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक ईस्ट इण्डिया क्लिनिक लि. (द्रष्टव्य 29 का 19)	0.16	0.46	0.16	0.46
अन्य प्रतिभूतियां/बांण्ड (अनुद्धृत)				
99 सं० आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बांण्ड–2026 (जारी मूल्य–₹ 3000/- अंकित मूल्य–₹ 1,00,000/- प्रत्येक) (द्रष्टव्य 29 का 18 (ख))		53.00		53.00
		3139.97		3139.97
द्रष्टव्य–14				
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ				
दीर्घमियादी व्यापार प्राप्य				
6 माह (द्रष्टव्य 29 का 14) से ज्यादा		38.98		38.98
अप्रतिभूति शोध्य माने गये (द्रष्टव्य 29 का 11)		6813.44		6813.44
		6852.42		6852.42

48

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

			31मार्च, 2017 को	31मार्च, 2016 को
द्रष्टव्य–15				
मालसूचियां				
कच्चे माल (नीचे (2) देखें)			104.81	111.20
भण्डारण और यंत्रांग एवं संघटक (शुद्ध)			2.78	2.78
फुटकर औजार			18.06	12.62
प्रगतिधीन कार्य			3892.76	2281.28
			4018.41	2407.88
(i) नोट- 30 का (5) में वस्तुसूचियों के मूल्यांकन हेतु लेखांकन नीति				
(ii) स्क्रैप स्टॉक सम्मिलित है			20.33	17.38
द्रष्टव्य–16				
व्यापार से प्राप्य				
छह माह से अधिक				
शोध्य माने गए	549.01		543.35	
संदिग्ध माने गए	778.84		778.84	
	1327.85		**1322.19**	
घटाएँ–संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	778.84	549.01	778.84	543.35
अन्य				
शोध्य माने गए		0.24		5.66
		549.25		549.01
द्रष्टव्य–17				
नकद और नगद तुल्यमान :				
नकद हाथ में (द्रष्टव्य 29 का 22)		4.13		5.07
अनुसूचित बैंकों के पास				
चालू खाते में		565.87		63.86
अल्पावधि जमा खाते (1) में		17021.82		18776.37
बैंक गारंटी के रुप में बैंक के पास ग्रहणाधिकार के अधीन		1317.40		1043.91
		18909.22		**19889.21**
(1) बैंकों में स्थायी जमा - सभी 12 माह और 12 माह से कम समय पर परिपक्वतावाली है।				

49

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

			31मार्च, 2017 को		31मार्च, 2016 को
द्रष्टव्य–18					
अल्पकालीन ऋण और अग्रिम :					
सहायक कंपनी को दिए गए ऋण पर भारत सरकार का प्राप्य ऋण			7003.21		7003.21
नकद या वस्तु रूप से वसूलीयोग्य या प्राप्य मूल्य के लिए अग्रिम			1061.16		994.44
			8064.37		**7997.65**
द्रष्टव्य–19					
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
ब्याज प्राप्यताएँ/ उपचित					
सहायक कंपनी को ऋण से			34117.02		34117.02
निवेश, जमा एवं मियादी जमा से ब्याज उपचित			1116.22		1473.83
अन्यान्यः					
बयाना राशि एवं अन्य जमा (द्रष्टव्य 29 का 23)			2384.43		1906.36
सीमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क इत्यादि के पास शेष			37.62		13.52
अन्य प्राप्यताएँ			34.49		34.49
			37689.78		37545.22
द्रष्टव्य–20					
प्रचालन से राजस्व					
विक्रय :					
घरेलू			8036.91		14871.50
निर्यात			0.00		0.00
			8036.91		14871.50
न्यून : उत्पाद कर			1.97		3.40
	कुल		8034.94		14868.10
अन्य प्रचालन आय :					
स्थायी परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ		0.76		48.23	
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)		699.27	700.03	40.47	88.70
स्क्रैप बिक्री			181.27		21.00
	कुल		8916.24		14977.80

50

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
द्रष्टव्य–21		
अन्य आय :		
बैंकों और जमानती जमा पर ब्याज	1485.16	1994.93
विविध ब्याज	-	1.60
अन्य गैर–प्रचालन आय	6.35	33.95
(बिदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव का शुद्ध नुकसान रु 0.11 लाख)		
कुल	1491.51	2030.48
द्रष्टव्य–22		
कच्चे माल की खपत :		
प्रारंभिक स्टॉक	141.63	142.13
जोड़े : क्रय	2713.75	2854.69
	2855.38	2996.82
घटाएँ : अंतिम स्टॉक	104.81	141.63
	2750.57	2855.19
जोड़ें : अन्य प्रभार	75.72	46.15
कुल	2826.29	2901.34
द्रष्टव्य–23		
प्रगतिधीन कार्यों एवं तैयार मालों में वृद्धि/(कमी)		
प्रारम्भिक स्टॉक		
प्रगतिधीन कार्य	2281.28	492.27
घटाएँ : अंतिम स्टॉक		
प्रगतिधीन कार्य	3892.76	2281.28
	(1611.48)	(1789.01)

51

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
द्रष्टव्य–24		
कर्मचारी हितलाभ खर्च :		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	1270.52	1443.93
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान (1)	155.73	163.03
कल्याण खर्च	74.85	62.10
	1501.10	1669.06
(1) आनुतोषिक निधि सहित	40.50	46.65
द्रष्टव्य–25		
वित्त लागत :		
बैक एवं अन्य	79.89	48.32
	79.89	48.32
द्रष्टव्य–26		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय :		
मूर्त संपत्ति पर	115.81	114.31
अमूर्त संपत्तियों पर	1.29	1.11
	117.10	115.42

52

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–27		चालू वर्ष		गत वर्ष
अन्य व्यय :				
उप संविदा और अन्य परिवर्तन प्रभार		3183.40		4728.50
संरचित इस्पात कार्य व्यय		35.26		45.42
भंडारण एवं स्पेर्स्स की खपत तथा खुले औजार		186.64		128.63
बिजली और ईंधन		88.85		109.65
महसूल और अग्रेषण		5.97		11.80
किराया		74.87		71.26
स्थानीय कर और उप कर		69.79		43.95
संविदा कार्य कर		423.47		862.03
बीमा		4.12		6.67
विज्ञापन		54.54		43.87
यात्रा खर्च		45.86		55.36
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स		8.42		8.43
मुद्रण और लेखन सामग्री		9.00		9.41
बैंक प्रभार		1.54		2.54
अन्य परियोजना व्यय		0.00		0.00
मरम्मत और अनुरक्षण :				
– भवन	-		3.71	
– संयंत्र और मशीनरी	1.86		0.57	
– अन्यान्य	2.30	4.16	2.55	6.83
विधिक/परामर्शी और पेशेवर प्रभार		35.80		49.25
गाड़ी भाड़ा प्रभार		80.94		62.04
चन्दा और दान		3.22		7.20
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे		140.96		135.04
साइट स्थापना		2.90		11.79
बैंक गारंटी भुनान/ईएमडी जब्ती, सू. ज.		82.91		112.31
श्रमिक सेस		41.86		5.61
प्लांट एवं क्रेन भाड़ा प्रभार		21.39		29.31
परीक्षा प्रभार		23.55		1.63
विविध व्यय (1)		61.27		626.05
		4690.69		7174.58
(1) **सम्मिलित : लेखा परीक्षा शुल्क एवं कर लेखा परीक्षा शुल्क**		1.08		0.79
लेखा परीक्षा शुल्क	0.59		0.59	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.23		0.20	
पूर्ववर्ती वर्षो को लिए अन्य	0.26			

53

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

द्रष्टव्य–29

वित्तीय विवरण के अन्य टिप्पणियॉ

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
1. (क) केन्द्रीय सरकार ने 11 जून, 2015 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 (2) के साथ पठित धारा 394 के अधीन बीबीजे (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के साथ बीबीयूएनएल (हस्तांतरिती कंपनी) की एकीकरण की योजना को स्वीकृति दी है। कथित योजना के प्रभावी होने की नियत तिथि 01.04.2015 होने पर इस योजना से हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरिती दोनों कंपनियों के शेयरधारकों एवं लेनदारों एवं सभी संबंधित आबद्ध रहेंगे। (दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी थी)		
(ख) कंपनियों के समामेलित हो जाने एवं योजना के प्रभावी होने के फलस्वरुप :-		
(i) हस्तांतरणकर्ता कंपनी वगैर समापन प्रक्रिया के भंग हो गयी है,		
(ii) योजना के अनुसार हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी परिसंपत्तियों, अधिकारों एवं शक्तियों आगे से हस्तांतरिती कंपनी को वगैर कार्य या अनुबंध के हस्तांतरित हो जाती है एवं तदनरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394(2) के अनुसरण में वह हस्तांतरणकर्ता कंपनी की वहां सभी परिसंपदा एवं हित हस्तांतरिती कंपनी में हस्तांतरित एवं निहित हो जाएगी।		
(iii) योजना के अनुसार हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी दायिताएँ एवं कर्त्तव्य आगे से हस्तांतरिती कंपनी को वगैर कार्य या अनुबंध के हस्तांतरित हो जाती है एवं तदनरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 (2) के अनुसरण में वह हस्तांतरिती कंपनी की वहां सभी दायिताएँ एवं कर्त्तव्य हस्तांतरिती कंपनी को हस्तांतरित हो जायेगी और हस्तांतरिती कंपनी की दायिताएँ एवं कर्त्तव्य बन जायेगा।		
(iv) हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा/के विरुद्ध इस वक्त लंबित सभी अदालती मुकदमें/कार्रवाईयां हस्तांतरिती कंपनी के विरुद्ध या उसके द्वारा जारी रखी जायेगी।		
(v) आवेदक कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानदण्ड नियम, 2006 में यधा रखे लेखांकन मानकों (ले.मा.) 14 का आवेदन करेंगी।		
2. तदनुसार, आर ओ सी ने दिनांक 18.11.2015 के आदेश के जरिए 18 नवम्बर, 2015 से प्रभावी भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड का नाम बदल कर दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हो जाने के बारे में भारत सरकार का अनुमोदन भेजवाया है।		
3. (क) स्थायी जमा के जरिए 15% मार्जिन के विरुद्ध 4000 लाख रु. की कुल सीमा के लिए कोष आधारित और गैर–कोष आधारित सुविधा (बैंक गांरटी) के लिए केनरा बैंक के पक्ष में बंधक और दृष्टिबंदक के सहारे कंपनी को स्थायी परिसंपत्तियों और स्टॉक एवं कर्ज खाता पर प्रथम प्रभार बनाया गया है।		

54

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
(ख) प्रावधान नहीं की जाने वाली आकस्मिक देयताएँ निम्न रूप हैं–		
i) बैंक गारंटी / साखपत्रों (असमाप्त)	1794.43	1794.43
ii) विवादित बिक्री कर मांग	761.90	761.90
iii) विवादित आय कर मांग	165.83	193.83
iv) विवादित सेवा कर मांग	154.45	152.15
v) अपील के अधीन विवादित भविष्य निधि मांग	54.14	54.14
vi) पं. बं. के विवादित बिक्री कर मांग	137.48	–
4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्व्स कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूँजी पुनर्गठन हो जाने से तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणपत्रों में परिवर्तन की अनुमति की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में एवं औपचारिकताओं के पूरा होने तक लंबित पड़े रहने से–		
(क) 'पुनर्संरचना इक्विटी शेयर जमा' के रूप में 1,388.00 लाख रु. (1,388.00 लाख रु.) दिखाए गए हैं। शेयर 28.04.2017 को आबंटित किए गए हैं।		
(ख) 'पुनर्संरचना ऋणपत्र जमा' के रुप में 550 लाख रु. (700.00 लाख रु.) दिखाए गए हैं।		
(ग) शून्य दर पर ऋणपत्र में 214.62 लाख रु. की राशि (214.62 लाख रु.) शामिल है जिसका आबंटन लंबित है क्योंकि इस मुद्दे पर चलाने वाली शर्तें प्राप्त नहीं हुयी है।		
5. भारत सरकार (भा. स.) द्वारा 29.12.2005 को बीसीएल की वित्तीय पुनर्संरचना के अनुसरण में एवं कंपनी के आनुषंगिक निवेश के मूल्य में कमी होने से निवेश की राशि में ऐसी कमी, भारत सरकार के दिनांक 06.08.2010 के अनुमोदन प्राप्ति होने पर कंपनी के खाते में इक्विटी पूंजी में सदृश कमी समायोजित कर दी गई है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन ऐसी कमी की पुष्टि हेतु औपचारिकताओं के अनुपालन की प्रक्रिया जारी है।		
6. कंपनी की पूर्ववर्ती सहायक कंपनी भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि. (बीडब्ल्यूईएल) की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए उपायों पर भारत सरकार के अनुमोदन सं 6(7)/2005 पीई iii दिनांक 03.07.2008 के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1,000 रु. प्रत्येक के 90,650 इक्विटी शेयरों के निरस्त हो जाने पर 906.50 लाख की 'निर्गत एवं अभिदत्त' शेयरों में कमी करने की औपचारिकताओं का अनुपालन प्रक्रियाधीन है।		

55

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
7. कंपनी की दो पूर्ववर्ती सहायक कंपनियाँ यथा–बीएससीएल एवं बीसीएल की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए उपायों पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदन सं. 8(12)/2009- पीई iii दिनांक 06.08.2010 के अनुसरण में संबंधित उपायों को क्रियान्वित किया गया है एवं वर्ष के दौरान कंपनी के लेखे में निम्न रूप से दिखाया गया है– (क) 31.03.2009 को स्थित बीएससीएल की चालू सांविधिक देयताएँ मुक्त करने के लिए 25.43 करोड़ रु. के योजना कोष का प्रावधान इक्विटी के रूप में किया गया। (ख) भारत सरकार के रेल मंत्रालय का बीएससीएल (सेलम इकाई को छोड़कर) एवं बीसीएल को आकस्मिक देयताएं परिसमाप्त करने के बारे में सहायता करने में समर्थन देने एवं जैसे ही इसे अंतिम रूप दिये जाने पर तथा भुगतान के बकाये हो जाने पर उसे बीएससीएल एवं बीसीएल के उसके संसाधनों से या केवल अनुपयुक्त जमीन की बिक्री से पूरा नहीं किया जा सकता। 8. कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 100 से 103 के मुताबिक कंपनी ने 1000/–रु. प्रत्येक की 2443123 इक्विटी शेयरों को निरस्त करके शेयर पूंजी में कमी करने की पुष्टि हेतु याचिका केन्द्र सरकार के समक्ष दायर की है। लंबित आवंटन वाले शेयर आवेदन के विरुद्ध प्राप्त धन 325.01 लाख रु. (325.01 लाख रु.) को केन्द्र सरकार से शेयर पूंजी में कमी करने की पुष्टि प्राप्त हो जाने के उपरांत शेयर आवंटन के जरिए समायोजित की जाएगी। शेयर 28.04.2017 को आबंटित किए गए हैं। 9. चार्टर्ड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा लेखांकन मानकों (ए. एस.)–13 जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -133 में संदर्भित है, के अनुसरण में कुछ पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष सहायक कंपनियां एवं सहायिका के जरिए जिनका विवरण नीचे दिया गया है, जहाँ समापन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, के दीर्घकालीन निवेशों के मूल्य में कोई भी ह्रास नहीं किया गया है। अंशदाताओं को वापस करने योग्य राशि के बारे में सरकारी समापकों द्वारा निपटान को पूरा करने के बाद कोई भी फलदायी वित्तीय प्रभाव को भारत सरकार के निर्देश (शों) के मुताबिक व्यवहृत किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा समापन के आदेश की तारीख हैं–भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल)–27.7.2004, वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड–08.04.2003 (बीपीएमईएल की सहायक कंपनी)। 10. भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से प्राप्य प्रशासनिक प्रभार के रुप में 0.36 लाख रु. (0.36 लाख रु.) की राशि का नकदी आधार पर लेखांकन किया जायेगा एवं इस प्रकार समष्टि रुप से अलेखांकित प्राप्यताएं 14.24 लाख रु. (गत वर्ष 13.88 लाख रु.) है। उप ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता के पास पड़े हुए शेष पर वसूली/समायोजन की राशि 294.45 लाख रु. (गत वर्ष 294.45 लाख रु.) का निरंतर अनुवर्ती कारवाई हो रही है।		

56

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
विविध देनदारों, जिसमे रेलवे सहित अधिकांस सरकारी पार्टियों की वसूली/समायोजनों के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई हो रही है।		
11. भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17 (12)/2000 पी.ई. III द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) एवं इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच एवं उनके द्वारा निष्पादित शेयर खरीद करारनामा की शर्तों के मुताबिक जेसप का 6,81,34,428 अदद(यानी 72 प्रतिशत)इक्विटी शेयरों का बिक्री हस्तान्तरण कंपनी द्वारा 29.08.2003 को 1818.00 लाख रु० की एवज में इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लि. के पक्ष में कर दिया गया। शेयरधारकों के प्रतिमान में उपर्युक्त हस्तांतरण के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार प्रभावी जेसप, सहायक कंपनी एवं 'सरकारी कंपनी' नहीं रह गयी। जेसप के शेयरों की बिक्री की भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय को दो पृथक पार्टियों द्वारा उपयुक्त न्यायालय में चुनौती दी गयी। (क्रमशः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता द्वारा) दोनों याचिकाएं अब निपटा दी गई हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने बाद में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की है। रु 4995.44 लाख (6813.44 लाख रु.) की हानि के बारे में भारत सरकार से अनुमोदन मिलना लंबित रहने कि वजह से इसे लेखांकन नही किया गया है। 1818.00 लाख रु. (1,818.00 लाख रु.) उगाही की गई समूची बिक्री राशि को भारत सरकार के निर्देश पर वर्ष के दौरान संबंधित व्यय के साथ समायोजन करके भारत सरकार को लौटा दी गई है। 6,813.44 लाख रु. (6813.44 लाख रु.) के निवेश की लागत को 'अन्य चालू परिसंपत्तियों, में शामिल किया गया है।		
12. वर्ष 2005-06 के दौरान जेसप ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) के पास इक्विटी शेयरों के नाममात्र मूल्य 10 रु. से 1 रु. निर्धारित (कम) करने के लिए आवेदन किया है। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों से जेसप को कंपनी अधिनियम, 1956 को धाराएँ 100,101,102 एवं 103 के अधीन प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने के लिए अनुमति प्रदान की है। कंपनी ने बीआईएफआर के पूर्वोक्त निर्देशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद के अपीलीय प्राधिकारी (एएआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा-25 के अधीन एक अपील भी दायर की है। एएआईएफआर ने दिनांक 28.02.2008 के अपने आदेश द्वारा दूसरे अपील के साथ कंपनी द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया है जबकि एक अपील पहले उठा लिया गया है। कंपनी ने एएआईएफआर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, कलकत्ता में एक रिट याचिका दायर की है जो आज की तारीख पर निपटारा के लिए लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003		

57

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
को विवाद को कंपनी द्वारा इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. (जेसप से रणनीति भागीदार) के बीच 'शेयरधारकों के करारनामे' के अनुसार मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा। 13. इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए. एस.-1) के अनुसार एवं विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धान्तों एवं सुसंगत चलन के अनुसरण में इस समय समापन होने वाली कतिपय सहायक कंपनियों को कंपनी के जरिए निर्मुक्त भारत सरकार के ऋण पर ब्याज का लेखांकन नहीं किया है क्योंकि कंपनी द्वारा इन सहायक कंपनियों से ब्याज की वसूली अनिश्चित है। 14. व्यापार प्राप्य में लकवा परियोजना कार्य के लिए बीएचईएल से गैर वर्तमान परिसंपत्तियों की 38.39 लाख रुपये बकाया है, जो पूरा होने के पहले 2009-10 में बंद हो गया था एवं उपर्युक्त कार्य से संबंधित 42.29 लाख रु की प्रतिभूति जमा (गैर वर्तमान परिसंपत्तियां) एवं 39.49 लाख रु. की अवरोधन जमा (गैर वर्तमान परिसंपत्तियां) शामिल है। इस राशि को शोध्य माना गया है क्योंकि लेखा में सदृश समष्टि जमा के रूप में 126.46 लाख रुपये है। 15. वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने गेबन गणराज्य में बिकेले टाउनशिप के करीब यूनिट के विनिर्माण के लिए बीसीडी इनगॉब कंसोरटियम के नाम के तहत कंसोरटियम व्यवस्था में प्रवेश किया है। विभिन्न शीर्षों यथा बैंक गारंटी प्रभार, यात्रा, संस्थापन खर्च आादि पर हुए वास्तविक व्यय को छोड़कर कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं (कंसोरटियम भागीदार से हुए करारनामे के मुताबिक) का कुल मिलाकर मूल्य 2.75 करोड़ रु. तक निर्धारित था। कंपनी ने अपनी परिभाषित भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के अंश के रूप में कंसोरटियम को जारी की गयी समान राशि का मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध गेबन सरकार के पक्ष में 725,000 अमेरिकी डॉलर (परियोजना आदेश मूल्य का 5 प्रतिशत) कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी दी है. कंपनी ऐसी गारंटी (इस समय वैधता की अवधि समाप्त हो गयी) देने के लिए कंसोरटियम से मार्जिन धन प्राप्त की है। कंपनी ने परियोजना के निष्पादन में संतोषजनक प्रगति न होने से वहां से सम्मानपूर्वक बाहर आने का निर्णय किया है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है। तथापि वर्तमान करारनामे के मुताबिक परियोजना में किसी हानि होने और / या कमी होने की दशा में कंसोरटियम भागीदार को क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, अभी तक कंपनी द्वारा किसी से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही मध्यस्थता की आवश्यकता वाला कोई विवाद उत्पन्न है।		

58

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
16. वर्ष के अन्त में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में संदर्भित लेखांकन मानक (ए. एस.)-22 के सदृश रखते हुए दूरदर्शी के तौर पर इसे लेखे में मान्यता नहीं दी गई है।		
17. वर्ष के अंत में कच्ची सामग्रियों, भंडारण आदि की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक एवं बही के स्टॉक में महत्वपूर्ण फर्क नहीं होने के कारण लेखा बहियों में उचित रुप से व्यवहृत की जाती है।		
18. (क) 31 मार्च, 2017 को जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में उद्धत निवेशों का बाजार दर उपलब्ध नहीं है।		
(ख) 31.03.2017 को ''आई सी आई सी आई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉण्ड- 2026'' का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।		
19. गैर-वर्तमान निवेश (टिप्पणी-13) में ईस्ट इंडिया क्लिनीक लिमिटेड में 16,000 रु. की 5% नॉन-रिडीमेबल रजिस्टर्ड डिबेंचर स्टॉक शामिल है, जिससे कंपनी कोई आय अर्जित नहीं करती है।		
20. वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया 82.72 लाख रुपये जेसप एण्ड कंपनी लि. को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्च के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर की है, जो आज की तारीख तक निपाटारा हेतु लंबित है।		
21. देनदारों, लेनदारों, अग्रिमों एवं जमा के बारे में शेष की अपेक्षित पुष्टि न होने से बहियों में दिखायी गयी राशि को सही माना गया है।		
22. बैंक शेष के 0.47 लाख रु. (गत वर्ष 0.47 लाख रु.) में बन्द साइटों - बोनम साइट - 0.09 लाख रु., बैतरणी साइट - 0.10 लाख रु., फरक्का 0.03 लाख रु., कहलगांव साइट 0.01 लाख रु., कान्हन साइट 0.13 लाख रु., रिहन्द साइट 0.02 लाख रु., उल्लास साइट 0.07 लाख रु. की राशि सम्मिलित है, जो बैंक से पुष्टि के अध्यधीन है। नकद शेष में पूर्ववर्ती वर्षों के बंद साइटों की 0.07 लाख रु हैं जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।		
23. ग्राहकों के पास 2117.31 लाख रु (गत वर्ष 1317.99 लाख रु.) (द्रष्टव्य-19) की जमानत राशि वापसी योग्य है बशर्ते कि संविदा पूरी/अंतिम निपटारा हो जाये।		
24. ए.एस-7 'निर्माण ठेका' के प्रकटीकरण के अनुसरण में—		
(i) ठेका राजस्व वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकार किया गया है	8036.91	14871.50
(ii) आज की तारीख तक सभी प्रगतिधीन ठेके के लिए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में ठेका लागन एवं स्वीकृत लाभ (स्वीकृत हानि घटा कर) की समष्टि राशि में 60.16 लाख रु. की भावी हानि सम्मिलित है।	3892.76	2281.28

59

	चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
(iii) वित्तीय वर्ष के अंत में प्रगतिधीन ठेके के लिए ग्राहकों के बकाये अग्रिम राशि।		
(iv) वित्तीय वर्ष के अंत में प्रगतिधीन ठेके के लिए ग्राहकों द्वारा रोके गए रकम		
25. वर्ष 2015-16 में त्रिपुरा में आरसीसी ब्रिज के निर्माण कार्य बैक-टु-बैक करारनामे के तहत उप ठेकेदार द्वारा पूरा किये जाने के बारे में 31.03.2016 को 225.76 लाख रु. की राशि प्राप्य है, जो संविदादाता यथा लोक निर्माण विभाग, त्रिपुरा सरकार द्वारा 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान बिलों से कम भुगतान की गयी समष्टि राशि है। उपर्युक्त बगैर उगाही की राशि का लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कथित कार्य के लिए 238.56 लाख रु. की राशि उप ठेकेदार की सद्दश देयता है।		
26. संबंधित पार्टियों की प्रकटीकरण (प्रबंधन द्वारा यथा चिहिन्त एवं जहां लेन देन वर्ष 2015-16 के दौरान विद्यमान है)		
(i) संबंधित पार्टी :		
श्री सौगत मित्रा - कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - 16 अगस्त, 2016 तक		
ब्रिगेडियर बी. डी. पाण्डेय, एसएम (सेवानिवृत्त) - कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - 16 अगस्त, 2017 से		
श्री सौगत मित्रा - कार्यवाहक निदेशक (वित्त) - 08 जुलाई, 2017 तक		
श्री ए. एम. मनीचन - कार्यवाहक निदेशक (वित्त) - 09 जुलाई, 2016 से		
श्री सुन्दर बनर्जी - निदेशक (तकनीकी)		
श्री अरुण कुमार निगम - गैर-सरकारी निदेशक - 25 फरवरी, 2017 तक		
श्री ए. एम. मनीचन - गैर-सरकारी निदेशक - 08 जुलाई, 2016 तक		
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक - 9 जुलाई, 2017 तक		
श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस (सेवानि)-अंशकालिक सरकारी निदेशक - 24 जून, 2016 से		
श्री तापस कुमार चटर्जी-अंशकालिक सरकारी निदेशक - 24 जून, 2016 से		
श्री एस. के. भट्टाचार्य - कंपनी सचिव (मु. प्र. का)		
श्री जी. सी. जश - महाप्रबंधक (वित्त) (मु. प्र. का)		

60

		चालू वर्ष (लाख रु.)	विगत वर्ष (लाख रु.)
	(ii) संबंधित पार्टियों के लेन देन :		
	(क) प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक–		
	निदेशक के रुप में वेतन एवं भत्ते	28.94	8.94
	कर्मचारी के रुप में वेतन एवं भत्ते	7.43	24.81
	निदेशक के रुप में भविष्य निधि में अंशदान	3.05	0.93
	कर्मचारी के रुप में भविष्य निधि में अंशदान	0.78	2.60
	मु. प्र. का. को वेतन एवं भत्ते	29.03	27.77
	मु. प्र. का. को भविष्य निधि में अंशदान	3.05	2.81
	(वेतन एवं भत्ते में छुट्टी नकदीकरण का भुगतान शामिल है)		
	(ख) गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क–	0.75	0.40
27.	(क) सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (यताचिह्नित, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है) नहीं हैं. जिसे कंपनी ने 1 लाख रु. की राशि से अधिक उधार का बकाया 45 दिनों (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन मांगी गई) से ज्यादा दे रखी है।	शून्य	शून्य
	(ख) वित्तीय वर्ष 2016 - 17 के लिए एलआईसीआई (निधि प्रशासक) द्वारा उपर्युक्त का कंपनी की आनुतोषिक खर्च की राशि 40.49 लाख रु. (गत वर्ष 46.65 लाख रु.) जी. बी. नि (कोष प्रशासक) है दायिता 14.15 लाख रु. (गत वर्ष 21.26 लाख रु.) निश्चित की गई है। [पुरानी आनुतोषिक दायिता 0.33 लाख (0.33 लाख) रू. शामिल है।]		
28.	सहायिका/सहयोगी/संयुक्त उपक्रम के तौर पर समेकित उद्यमों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–iii के अधीन अतिरिक्त सूचनाएं।		
	द्रष्टव्य : भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल), एक सहायक कंपनी के 27.07.2004 से समापन के अधीन एवं वेबई इंडिया लिमिटेड (बीपीएमईएल की सहायक कंपनी) 08.04.2003 से समापन के अधीन है। इसलिए समेकन नहीं किया है।		

61

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

29. **लंबित कानूनी मामलों की स्थिति**

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी विषयक मामले (2013 का जी.ए. 932/2013 का एपीओटी) टीटागढ़ वैगन्स लि. एवं अन्य–बनाम– युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	2013	उच्च न्यालय के एकल न्यायाधीश के रिट याचिका सं. 2003 के 1509 (और वहों से निकलो कई अन्य जी ए) के 19.12.2012 के आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की गयी है। तथ्य : 1. याचिकाकर्ता को मालूम नहीं था कि जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को मेट्रो रेलवे, कोलकाता की 5.5 एकड़ जमीन की बिक्री से 14 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यद्यपि, प्रतिवादी सं. 5 (इंडो वैगन) को इसकी जानकारी थी। 2. बोली खुलने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया गया।	चूंकि याचिकाकर्ता ने जेसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को चुनौती दी है– राशि का जिक्र / मूल्यांकन नहीं किया गया है।	याचिकाकर्ता के वकील मामले में वहस कर रहें थे। 02.02. 2016 को यह विषय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश जयमाल्या बागची के माननीय डिवीजन पीठ द्वारा आंशिक सुनवाई की गई थी जब लॉर्ड्शिप ने आंशिक सुनवाई को रद्द कर दिया एवं विषय को अवमुक्त कर दिया था। याचिकाकर्त्ता इस विषय को आगे उपयुक्त न्यायालय में ले जा सकता है।	इस विषय को माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश जयमाल्या बागची की सूची से विमुक्त कर दिया गया है एवं याचिकाकर्ता उसे किसी दुसरे पीठ में ले जा सकता है और यह विषय सूची में नहीं आया है।	विषय लंबित है – विशेष पीठ की पुष्टि होनी है।
2.	कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी विषयक मामले (2008 का डब्ल्यू. पी. सं. 19046	2008	कंपनी द्वारा बीआईएफआर के दिनांक 31.08.2005, 06.10.2005 एवं 28.04.2006 के आदेश	जेसप के इक्विटी शेयरों की अंकित मूल्य में कमी होने से 23.02 करोड़	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।

62

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
	(डब्ल्यु) भाभाउनिलि एवं अन्य -बनाम- एएआईएफआर, जेसीएल, बीआईएफआर एवं अन्य		[एएआईएफआर ने बीआईएफआर के जैसे ही जेसीएल के इक्विटी शेयर ।0 रु. से 1 घटाने की अनुमति देने से ''राइट'' आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्गम से पूंजी निषेचन हुई, जो सेबी औपचारिकताओं के अनुपालन से ''राइट'' निर्गम की छूट थी एवं जेसीएल को एसआईसी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के दायरे के बाहर घोषित करना है] के विरुद्ध अपील को एएआईएफआर द्वारा 20.08.2008 को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है।	रु. की हानि हुयी।			
3.	कोलकाता उच्च न्यायालय में कंपनी विषयक मामले (2010 का डब्ल्यू. पी. सं. 4224 (डब्ल्यू) इंडो-वैगन इंजी. लि. एवं अन्य-वनाम- युनियन ऑफ इंडिया, भाभाउनिलि एवं अन्य	2010	कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता के संग की गई एसएचर के स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डीमेट के रुप में जमा/अभिरक्षा की तारीख से 72% शेयरों को 3 वर्ष के लिए स्थानांतरित कर धरोहर रखना था परंतु बीबीयूएनएल 03 वर्ष खत्म हो जाने के बाद भी धरोहर वाले शेयरों के बारे में 'धरोहर बंदी' पुष्टि फार्म निर्गत नहीं की।	याचिकाकर्ता ने शामिल मूल्यांकन का जिक्र नहीं किया है/मूल्यांकित नही हुई।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।	आज की तारीख तक मामला सूची में शामिल नहीं किया गया।

63

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) 24 परगना 2009 का टीएस से. 3506/ 2009/91 भाभाउनिलि –बनाम– जेसप एण्ड कंपनी लि.	2009	कंपनी द्वारा 2005 में गलती से वापस की गयी सितंबर, '01 से आगस्त, '03 की सेवा प्रभार 82,71,520/- रुपये के साथ ब्याज, लागत की वसूली के लिए।	82,71,520/- रुपये + ब्याज	साक्ष्य का उद्धृत करना, गवाह की जिरह, प्रतिवादियों की बहस खत्म हो गया है। कंपनी के सीनियर काउन्सेल बहस शुरू कर दिया है। कंपनी के काउन्सेल ने 07-01-2016 को सुनवाई के दौरान कंपनी के नाम बदल जाने से 'क्रॉस टाइटील' के बदलाव के लिए आवेदन दिया है।	चूंकि 07.01.2016 के बाद मामला नहीं उठाया गया और समय–समय पर स्थगित हुआ। मामला को सुनवाई के लिए 15.07.2017 को तय किया गया था। लेकिन सुनवाई नहीं हुई एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर करने हेतु तथा कारण दिखाओ जवाब देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और यह विषय 23.08.2017 तक मुल्तवी हो गई है।	प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जिला–24 परगना (दक्षिण), अलीपुर

64

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	डी आर ए टी, कोलकाता में वसूली विषय मुकदमा सं. 2012 का 118 युनियन ऑफ इंडिया –बनाम–यूको बैंक, टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीपीएमईएल एवं भाभाउनिलि क्रास अपील सं. 2012 का 138 ; टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड–बनाम–यूनियन ऑफ इंडिया, बीपीएमईएल एवं भाभाउनिलि एवं यूनियन ऑफ इंडिया	2012	वसुली अधिकारी के दिनांक 23.03.2011 के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दाखिल 2011 की अपील सं. 2 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली ट्राईब्युनल–1, कोलकाता के 23.02.2012 के आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा अपील एवं क्रास अपील दाखिल किया गया है।[वसूली अधिकारी उपर्युक्त आदेश के जरिए प्रतिवादी सं. 3 (बीबीयूएनएल) के पास धारित कंपनी के शेयरों को जब्ती का निदेश देकर सर्टिफिकेट्स की दखल लेने हेतु रिसीवर भी नियुक्त किया है विद्वान पीठासीन अधिकारी, ने 23.02.2012 के आदेश के जरिए शेयरों की कुर्की के आदेश निरस्त कर दिया है। तथापि, आदेश में यूनियन ऑफ इंडिया को उनकी देयता या दूसरी ओर से कर्त्तव्य मानते बीपीएमईएल के शेयर टीपीजी को हस्तांतरण करने को कहा है।	युको बैंक ने 4.11.2003 को डी आर टी से बीपीएमईएल के विरुद्ध 4,08,26,270.27 रु के साथ ब्याज की डिक्री प्राप्त कर लिया एवं यूको वैंक ने अद्यतन ब्याज समेत 4,08,26,270.27 रु रशि की उसी डिक्री को टीपीजी को हस्तांतरित कर दी।	सभी पार्टियों द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है। 16.02.2017 को जब सरकार के काउन्सिल (मुख्य याचिकाकर्ता) ने स्थगन लिया तो विषय पर सुनवाई हुई। 12.04.2017 को अगली सुनवाई के दिन सरकारी वकील सुनवाई में उपस्थित नहीं थे एवं विद्वान ट्राईब्युनल ने युनियन ऑफ इंडिया के आवेदन को रद्द कर दिया। युनियन ऑफ इंडिया ने आगे ब्रांच सेक्रिटेरियट,, कोलकाता से वकील बदलने के लिए कही एवं बहाली आवेदन फाइल करने के निर्देश दिए।	ब्रांच सेक्रिटेरियट ने युनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता–ऑन–रिकार्ड के तौर पर श्री एम एम तिवारी को नियुक्त किया, जिन्होंने 24.07.2017 को बहाली आवेदन फाइल किया जो 01.08.2017 को सूची में आएगी। कंपनी उपर्युक्त मामले में एक प्रतिवादी है।	पाठीसीन अधिकारी, डी आर ए टी, कोलकाता

65

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कलकत्ता उच्च न्यायालय में सेवा विषयक मामला 2014 का डब्ल्यू.पी.स० 14592 (डब्ल्यू) श्रीमती सरोज अग्रवाल (याचिकाकर्ता) -वनाम- यू ओ आई, बीबीयूएनएल एवं अन्य	2014	प्रबंधन द्वारा 30 अप्रैल, 2014 के पत्र के जरिए याचिकाकर्ता के बारे में निश्चित किया गया है एवं उनके सभी बकाया नियोजन की शर्तों के मुताबिक निपटारा किया गया था।	मूल्यांकन योग्य नहीं।	मामला 27.01.2015 को उठा तब माननीय न्यायालय ने सचिव, भाउवि एवं कंपनी को 4 सप्ताह के अंदर कुछ कार्य के विरुद्ध हलफनामा देने को कहा। कंपनी ने हलफनामा तैयार कर पुष्टि की और यूओआई ने 28.07.2015 को पुष्टि की।	मामला 03 जुलाई, 2017 को न्यायमूर्ति आई. पी. मुखर्जी के पास भेज दिया गया। परंतु मामला सूची में आना बाकी है।	माननीय न्यायमूर्ति आई. पी मुखर्जी.
7.	कलकत्ता उच्च न्यायालय में सेवा विषयक मामला 2015-08-11 का डब्ल्यू. पी. सं. 116 अमित दासगुप्ता - बनाम- यू ओ आई, बीबीयूएनएल एवं अन्य	2015	याचिकाकर्ता जब वे प्रबंधक (संयोजन) के तौर पर कार्य कर रहे थे, के विरुद्ध बीबीयूएनएल की सीडीए नियम के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की गयी थी एवं उन्हें ''अनिवार्य सेवानिवृत्ति'' फैसला किया गया था। न्यायालय द्वारा 02.06.14 को कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटियों देखी गयी, और मामलों को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास नये सिरे से विचार करने के लिए पुनरर्पण किया एवं तदनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी (निदेशक तकनीकी)	मूल्यांकन योग्य नहीं।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथा निदेशित कंपनी ने हलफनामा दाखिल की एवं याचिकाकर्ता ने भी प्रति-उत्तर में हलफनामा दाखिल किया है। विषय 16.11.2015 को न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी	मामला माननीय न्यायाधीश संबुद्ध चक्रवर्ती की सूची में 14.03.2017 को आया जब याचिकाकर्ता ने उक्त मामले में क्रॉस टाइटिल में	माननीय न्यायाधीश संबुद्ध चक्रवर्ती

66

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
			ने ''अनिवार्य सेवानिवृत्ति'' के उस सजा के आदेश 05.08.14 को याचिकाकर्ता को भेजा। इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने एक पृथक रिट याचिका दाखिल की है।		की सूची में आयी परंतु स्थगित हो गया। आगे अदालत में सूची भुक्त नहीं हुआ।	संशोधन के लिए आवेदन फाईल किया। याची की ओर से वकील की सुनने के बाद महामान्य ने मामले को 11.04.2017 की सूची में डालने के लिए निदेश दिया परंतु सूचीभुक्त नहीं हुआ।	
8.	कलकाता उच्च न्यायालय में मध्यस्थता विषयक मामला 2016 का ए.पी. सं. 9, 2016 का जी. ए. सं. 120 इंडो वैगन इंजी. कं. लि. –बनाम– बीबीयूएनएल	2016	कंपनी एवं इंडो वैगन इंजी कं. लि. (आईडब्ल्यूईएल) और बीबीयूएनएल के बीच निम्नलिखित विवादों के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही की गई : (क) जेसप एण्ड कंपनी लि. (''जेसप'') की 10 रुपये से 1/- रु इक्विटी शेयरों में कभी करने; (ख) जेसप द्वारा 2005 में इक्विटी शेयरों का ''राइट'' निर्गम : (ग) जेसप के निदेशक मंडल में अंतिम नॉमिनी के बाद बीबीयूएनएल का नॉमिनी की नियुक्ति न करना (बीबीयूएनएल ने 29.08.2003 को 72%	41 करोड़ रू. लगभग एवं ब्याज (मध्यस्था फैसले के मुताबिक)	मामला 07.03.2017 को सुनवाई के लिए निर्धारित था परंतु उक्त विषय 07.03.2017 को सूचीबद्ध नहीं था। तथापि माननीय न्यायालय के दिनांक 31.12.2017 के आदेश से कंपनी ने आई डब्ल्यू ई एल के आवेदन के विरूद्ध अपील एवं जी ए	मामला आगे सूचीवद्ध नहीं हुआ है।	माननीय न्यायाधीश आई. पी. मुखर्जी

67

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
			इक्विटी शेयरों के बिक्री हेतु ''शपथ समाप्ति पुष्टि फार्म'' भी जारी नहीं की है। एकल मध्यस्थ ने 11.09.2015 को निम्नलिखित फैसला दिया : फैसला दावा विवरण की प्रार्थना (सी) और (जी) के संबंध में प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरुद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में दिया गया। आगे, यह भी निर्णय दिया गया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरण की प्रार्थना (सी) और (जी) में दी गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी द्वारा असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को देय होगा। सूचना के लिए : दावा विवरण की प्रार्थना (सी) निम्न रूप से पढ़ा जाएगा— प्रार्थना ''ए'' और ''बी'' के विकल्प के रूप में 31 अगस्त, 2005 से दावा करने की तारीख तक 15% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 23,02,21,098/- रूपए का एवार्ड दिया जाता है। प्रार्थना (जी) निम्न रूप से पढ़ा जाएगा— प्रार्थना ''डी'' से ''एफ '' के		आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हुए एक हलफनामा दायर किया है।		

68

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
			विकल्प के रूप में 1 नवम्बर, 2005 से दावा करने की तारीख तक 15% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 1800.28/- लाख रुपए का एवार्ड दिया जाता है। आईडब्ल्यूईएल पीड़ित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 05.01.2016 को निम्नलिखित याचिका दायर की है— (क) 11.09.2015 के कथित एवार्ड खारिज करने एवं...				
9	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलेट ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली (ईपीएफएटी) में भविष्य निधि विषयक मामला एटीए 2016 का सं. 299(15) दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंसट्रक्शन कं. लि. –बनाम– सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षे. का., कोलकाता	2016	सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षे. का., कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) के अधीन कुल 96,773/- रूपये की क्षतिपूर्ति दावा किया है। कई सुनवाई करने बाद एपीएफसी, क्षे. का., कोलकाता ने फिर 15.02.2016 के आदेश के जरिए कथित अधिनियम की धारा 14 (बी) के अधीन उपरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निदेश दिया है। कंपनी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली में चुनौती दी गई है।	66,43,791/- रुपयो	कंपनी ने उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदन दायर किया है एवं इसके प्रत्युत्तर में ट्राईब्यूनल के निदेशानुसार प्रतिवादी भी दायर किया है। ट्राईब्यूनल ने मूल्यांकित राशि का 50% जमा करने का आदेश दिया है। इस बीच कंपनी ने ईपीएफओ, कोलकाता द्वारा कोई जबरदस्ती	ईपीएफएटी के भंग होने के विचार से यह मामला सीजीआईटी, कोलकाता को आगे की कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित की जायगी एवं कंपनी को ट्राईब्यूनल द्वारा सीधे नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस प्राप्त होना बाकी है।	सी जी आई टी, कोलकाता

69

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					कदम उठाने से रोकने के लिए प्रार्थना करते हुए एक अंतरिम आवेदन फाईल किया है एवं जमा करने के विचार से जो बीबीयूएनएल आरपीएफआई (ट्रस्ट) के बचत खाते में है। विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 22.09.2016 के आदेश के जरिए 16,76,335/- रुपये जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी ने उक्त रकम को 01.10.2016 को एपीएफसी, क्षे. का. कोलकाता के पास जमा कर दी है। सुनवाई की अगली तारीख 10.07.2017 थी। इस बीच		

70

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					26.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय सरकार ने ईपीएफटी, दिल्ली और बेंगालुरू को समाप्त कर दिया है तथा उक्त ट्राईब्यूनल में लंबित मामले अब संबंधित राज्य के केंद्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल-सह-लेबर कोर्ट (सीजीआईटी) में स्थानातंरित हो जाएगी।		
10.	मध्यस्थता अपील सीवटेक के मामले में (एपी सं.-2010 का 738, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष लंबित)	2010	अपूर्ति का दावा तथ्य : मेसर्स बीबीजे के विरुद्ध पारित एवार्ड को चुनौती देते हुए आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत दिसंबर 2010 के दौरान माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष याचिका दायर किया गय है। तब से मामला लंबित है। **काउन्सेल :** श्री तिलोक बोस, बार एट ला एवं श्री असित दे, अधिवक्ता (बीबीजे की ओर से)	17 लाख रुपये + ब्याज	मेसर्स सीवटेक ने बीबीजे के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधीन अपील दायर किया है। सुनवाई हेतु लंबित है।	मेसर्स सीवटेक ने बीबीजे के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधीन अपील दायर किया है। सुनवाई हेतु लंबित है।	मेसर्स सीवटेक ने बीबीजे के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधीन अपील दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई हेतु लंबित है।

71

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
			परिणाम : बीबीजे एवार्ड में किसी भी राहत हासिल नहीं कर सका। मध्यस्थ द्वारा मुख्य विंदुओं के साथ फाइल किया गया अपील नहीं माना किया गया।				
11	मध्यस्थता अपील- नार्थ सेंट्रल रेलवेस के विरुद्ध कुंवरी (एवार्ड) केस के मामले में. (मध्यस्थता अपील 2010 का (ए ए) सं.1) माननीय उच्च न्यायालय, म्ध्य प्रदेश के समक्ष लंबित)	2010	**काम का ठेका तथ्य :** मेसर्स बीबीजे के पक्ष में शून्य दायिता एवार्ड पारित। नार्थ सेंट्रल रेलवेस ने कथित एवार्ड को आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को कोई प्रतिलिपि नहीं दी गयी है, इसलिए किसी को रखा नहीं गया है। फिर भी, नार्थ सेंट्रल रेलवेस का कथित दावा खारिज कर दी गयी है एवं दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया है। नार्थ सेंट्रल रेलवेस ने उपकृत होकर विद्वान जिला न्यायालय के कथित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को अपूर्ण प्रतिलिपि दी गयी है एवं मेसर्स बीबीजे को अपील पर आपत्ति दायर करना है। **काउन्सेल :** श्री कैलास नारायण गुप्ता, वरिष्ठ वकील	शून्य दायिता	आब्रिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा बीबीजे के लिए पारित एवार्ड को नार्थ सेंट्रल रेलवे ने चुनौती दी है। सुनवाई लंबित है। नार्थ सेंट्रल रेलवे ने म. प्र. उच्च न्यायालय में अपील फाइल किया है। जो सुनवाई के लिए लंबित है।	आब्रिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा बीबीजे के लिए पारित एवार्ड को नार्थ सेंट्रल रेलवे ने चुनौती दी है। जो सुनवाई के लिए लंबित है।	आब्रिट्रल ट्राईब्यूनल द्वारा बीबीजे के लिए पारित एवार्ड को नार्थ सेंट्रल रेलवे ने चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

72

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
12	दीवानी मुकदमा– मेसर्स रावतसन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (2014 का सीएम नं. 199) केस के मामले में। मेसर्स रावतसन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम बीबीजे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष लंबित (मुख्य पक्ष)	2014	**आपूर्तिकर्ता का दावा तथ्य :** मुकदमा मुख्य रुप से मुंगेर पुल ठेका के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टील चैनेल स्लिपरस् की आपूर्ति से संबंधित है। कंपनी द्वारा पुष्टि के लिए कार्यादेश दे दी गयी थी। पूर्व मध्य रेलवे के वस्तुओं के आवश्यक विवरण समय पर देने में असमर्थ रहने से उसे नहीं दिया जा सका एवं ठेका समय बीत जाने से व्यर्थ हो गयी। याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया में हुयी हानि की पुनःपूर्ति के लिए 1.17 करोड़ रुपये + एडवेलोरम 18% की दर से ब्याज का दावा किया है। **काउन्सेल :** सैंडर्सन्स एण्ड मोरगन्स (सॉलिसिटर्स)	1.17 करोड़ रुपये + ब्याज एडवेलोरम 18% की दर से।	रेलवे ड्राईंग में परिवर्तन के कारण पार्टी को 1.17 करोड़ रुपये की हानि की भरपाई करने हेतु। सुनवाई के लिए लंबित है।	रेलवे ड्राईंग में परिवर्तन के कारण पार्टी को 1.17 करोड़ रूपये की हानि	रेलवे ड्राईंग में परिवर्तन के कारण पार्टी को 1.17 करोड़ रूपये की हानि की भरपाई करने हेतु। माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए लंबित है।
13	प्रधान कार्यालय से संबंधित मोदी बिल्डिंस किरायेदारी मामले में (सीएस सं. 1982 का 482) माननीय उच्च न्यालाय, कलकता में लंबित है।	1982	**बेदखली का मुकदमा : तथ्य :** मकान मालिक द्वारा 1982 के दौरान बीबीजे के प्रधान कार्यालय भवन के बेदखली का मुकदमा दायर किया गया। **काउन्सेल :** श्री बी. के. बच्छावत (सीनियर काउन्सेल) के साथ श्री एस. के. धर (वकील) (मेसर्स बीबीजे की ओर से) श्री कौशिक मंडल (वकील) भी मेसर्स बीबीजे की ओर से मामला देखेगें।	बेदखली का मुकदमा	2008 से बेदखली मुकदमे की आंशिक सुनावाई हुई।	की भरपाई करने हेतु।	2008 से बेदखली मुकदमे की आंशिक सुनावाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय, कलकता के समक्ष लंबित है।

73

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
14	मध्यस्थता अपील नार्थ सेन्ट्रल रेलवे द्वारा बीबीजे के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश (ग्वालियर बेंच) के समक्ष 2016 के दौरान फाइल किया गया है। मामला संख्या 2016 का एए 2	2016			नार्थ सेन्ट्रल रेलवे ने विद्वान द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के निर्णय को चुनौती दिया है। सुनवाई के लिए लंबित है।		माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश (ग्वालियर बेंच) के समक्ष लंबित है।
15	सिविल अपील बीबीजे द्वारा के ओ पी टी के विरूद्ध माननीय जिला न्यायाधीश, अलीपुर के समक्ष 2017 के दौरान फाइल किया गया है। मामला संख्या 2017 का पीपी 6 रिकार्ड में वकील-सैंडर्सन्स एण्ड मोर्गन्स। अनुमानित राशि 10.57 लाख रुपये + ब्याज शामिल है।	2017			विवाद ब्याज के साथ 10.57 लाख रुपये की वकाया किराया का है। मामला कोर्ट के उपयुक्त क्षेत्राधिकार द्वारा रोक दिया गया है। सुनवाई के लिए लंबित है।		माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश (ग्वालियर बेंच) के समक्ष लंबित है।

74

29.(ख) यहाँ निम्नलिखित दो विषय भी हैं जिसमें कंपनी और युओआई औपचारिक प्रतिवादी हैं एवं भाउवि के निदेशानुसार कंपनी ने मुकदमों में हाजिर हो कर हलफनामा आदि दायर की है।

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमा 2013 का एसएलपी (सिविल) सं.33210	2013	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स समादरिया बिल्डर्स एवं अन्य यूओआई एवं बीबीयूएनएल प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं।	अभी तय करना है।	बीएससीएल की पूर्ण स्वामित्ववाली 8.8646 एकड़ जमीन जबलपुर (मप्र) में है। माननीय बीआईएफआर पीठ के साथ साथ भारत सरकार के अनुमोदन करने पर बीएससीएल ने वर्ष 2002 में एमएसटीसी के जरिए जमीन की बिक्री करने की चेष्टा की तब बीएससीएल बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी थी। मेसर्स समादरिया बिल्डर्स सर्वोच्च बोली लगानेवाला था। रेलवे ने प्रक्रिया के दौरान जमीन लेना चाहा और इसलिए ईएमडी	जब यह विषय 31.08.2015 को आया तो बीएससीएल के अन्य तीन मामले एसएलपी सं. 21827 से 21830/2014 भी इस मामले एसएलपी सं. 33210/2013 के साथ जो दिये गये थे। प्रतिवादियों ने जोड़े विषयों पर प्रति-हलफनामा एवं प्रतिप्रत्युत्तर दायर करने के लिए समय लिया है। विषय आगे 10.07.2016 को आया जब आवेदक (म.प्र.राज्य एवं अन्य) ने जोड़े विषयों, यथा - 2014 का 21827 से 21830 के बारे में अंतरिम राहत	भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

75

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					आदि निरस्त कर दिया गया। फिर प्रक्रिया में देर हो जाने से रेलवे ने भी बीबीयूएनएल को सूचित किया कि वे जमीन लेने में इच्छुक नहीं है। तत्पश्चात, बीएससीएल ने मई, 2005 में कथित जमीन की बिक्री के लिए नयी एनआईटी जारी की। मेसर्स समादरिया ने नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ने 26.06.2003 को उक्त रिट याचिका के	हेतु अपील फाईल गिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सर्विस करने के लिए आदेश हेते हुए कहा कि प्रति-हलफनामा 3 सप्ताह में एवं रिज्वाइंडर 2 सप्ताह तक फाइल किए जाए, जिसमें यूओआई भी एक प्रतिवादी था। भाउवि ने कंपनी को इस केस में रेलवे मंत्रालय का नाम आने तक या कोर्ट द्वारा प्रतिवादी सूची से भाउवि के नाम हटाने के आदेश देने तक मामले की स्थिति रिपोर्ट रखने को कहा। मामला आगे अभी आना बाकी है।	

76

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					निपटारा हेतु यह निदेश दिया कि यदि मेसर्स समादरिया बिल्डर्स द्वारा पहले की बोली से दुगुनी राशि का प्रस्ताव दी जाती है तो बीएससीएल विषय को अंतिम रूप दे सकती है और नियत राशि प्राप्त करने के बाद संलेख आदि निष्पादित कर सकती है। बीएससीएल 26.06.2003 के उक्त आदेश से अपकृत होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम राहत हेतु प्रार्थना करते हुए 2013 की एसएलपी (सिविल) सं. 33210 दायर की है। इस अपील में		

77

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					यूओआई (सचिव, भा.स., भाउ एवं लोउ मंत्रालय, भाउवि के माध्यम से सेवा) तथा बीबीयूएनएल प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 हैं।		
2	ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्युनल में वसूली विषय ओ एम डी सी द्वारा दाखिल 2014 के आवेदन सं. 105, 106, 107, 108 और 109	2014	ओ एम डी सी बनाम यूकों बैंक एवं अन्य	अभी मूल्यांकन करना है।	यूको वैंक ने डीआरटी से 04.11.2003 को बीपीएसईएल (समापन में) से ''उपराक्त प्रमाणित राशि'' पर जिसे टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्रा लि को यूको वैंक द्वारा हस्तांतरित किया गया था, 08.05.1991 से उगाही होने तक 19.5% की दर पर ब्याज समेत 2,16,13,312, 35/- रुपये के लिए एवं यूओआई से	भारत संघ-बनाम-यूकों बैंक एवं अन्य में डीआरएटी के समक्ष माउवि द्वारा 2012 के अपील संख्या 118 दायर किया गया है एवं चूंकि 2012 के अपील संख्या 118 के साथ ओएमडीसी के पांच अपील युक्त कर दिए गए हैं इसलिए	ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल, कोलकाता

78

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					संयुक्त रूप से, अलग से एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने की एक डिक्री प्राप्त कर लिया था। तथ्य यह है की- बर्ड एण्ड कंपनी की सहायक कंपनी ओडिसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) पहले ओडिसा राज्य में तीन खदानों का प्रचालन करती थी एवं जब 14.10.1980 को बीपीएमईएल सरकारी कंपनी के तौर पर निगमित हुई तो भारत सरकार ने खदानों को बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में निहित करने की अधिसूचना	भाउवि ने अपने काउन्सेल को कहा कि केस का बचाव ठीक तरीके से करें एवं बीबीयूएनएल के सीएमडी को भी माननीय जीआरएटी के समक्ष दोनों कोर्ट मामलों का प्रभावी रूप से बचाव करने को कहा। तदनुरूप, कंपनी ने भी यूओआई के संग औपचारिक प्रतिवादी के तौर पर मामले पर विवाद किया तथा उपयुक्त रूप से विषय को देखने के लिए फॉक्स एण्ड मंडल को नियुक्त किया। समय-समय पर माननीय ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की थी। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के दौरान	

79

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					जारी की। तब से ओएमडीसी अपना प्रचालन कर रही है, बीपीएमईएल को ओएमडीसी के सभी कार्यकलाप करने हेतु पावर ऑफ अटार्नी (पीओए) दी गई थी। अब इस पीओए अधिकार के गुणों के मुताबिक सुरक्षित लेनदार टीपीजी ने वसूली अधिकरी से इन तीनों खदानों के कब्जा हेतु आदेश हासिल कर लिया और तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी, डीआरटी से प्राप्त कर लिया। ओएमडीसी खिन्न होकर डीआरएटी के	17.12.2014 को तीन अपील सं. 105, 106 एवं 108 को खारिज कर दिया क्योंकि ये तीनों अपील वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध की गई थी, जो अधिनियम की धारा 30 के शर्तानुसार नहीं थे। तत्पश्चात, 13.02.2015 को दोनों अपील की सुनवाई हुई जब अपीलकर्ता ने टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्रा लि द्वारा सीपीसी के 340 के तहत आवेदन के विरूद्ध लिखित आपत्ति फाईल करने के लिए समय प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। मामला आगे 13.02.2015 को निर्धारित हुआ परंतु अभी	

80

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु. में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
					समक्ष पी. अ./ डीआरटी-I द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेशों के पुनर्विचार/ निरस्त करने एवं टीपीजी को दिए यूको बैंक के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए आवेदन दिया, जहां यूओआई एवं बीबीयूएनएल प्रतिवादी हैं।	भी मामला नहीं आया है। आगे ओएमडीसी ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष तीन आवेदन-पत्र सुनवाई के लिए फाईल किया है एवं कंपनी को भी प्रतिलिपि दी है। मामला फॉक्स एण्ड मंडल को उपयुक्त रूप से देखने के लिए दिया क्योंकि वे शुरू से मामले की देख-रेख कर रहें हैं। मामला आगे सुनवाई के लिए सूची में आना बाकी है।	

81

30. छुट्टी नकदीकरण, जो जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर एक गैरकोषीय योजना है, के बारे में 'कर्मचारी हित' की एएस-15 (संशोधित) के अधीन यथापेक्षित प्रकटीकरण है।

(i) नियोक्ता खर्च के अवयव :

(लाख रु. में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
चालू सेवा लागत	19.42	23.75
विगत सेवा लागत	0.00	(1.80)
ब्याज लागत	17.70	15.43
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	0.00	0.00
संक्षेपण लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00	0.00
वर्ष में अभिज्ञात बीमांकिक लाभ / हानि	28.63	30.80
लाभ / हानि विवरण में अभिज्ञान व्यय	65.75	68.18

(ii) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

(लाख रु. में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	259.61	52.66
अर्जन समायोजन	0.00	147.61
ब्याज लागत	17.70	15.43
विगत सेवा लागत	0.00	(1.80)
चालू सेवा लागत	19.42	23.75
संक्षेपण लागत	0.00	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	35.26	14.63
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	28.63	30.80
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	284.10	253.61
वर्ष के अंत में समापन निधि / प्रावधान	284.10	253.61

82

(iii) बीमांकिक पूर्वधारणा :

(₹ लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
छूट दर	7.50%	8.00%
मुद्रास्फीति दर	7.00%	7.00%
परिसंपत्तियों पर वापसी	ला० न०	ला० न०
अवशेष कार्यशील जीवन	11 वर्ष	11 वर्ष
प्रयुक्त फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

31. विक्रय और परियोजना आय :

माल की श्रेणी	इकाई	विक्रय और परियोजना आय		
		वर्ष	परिमाण	राशि
इरेक्शन	मे टन	2017-17	11204.247	
	वर्ग मीटर	2016-17	6000.000	6569.96
	मे टन	2015-16	2154.252	0.00
	सं	2015-16	228970	0.00
	सेट्स	2015-16	21	10324.65
फैब्रिकेशन	मे. टन	2016-17	1999.794	852.20
	मे. टन	2015-16	3895.940	3819.20
सिविल		2016-17	एकमुश्त	614.75
		2015-16	एकमुश्त	727.65
कुल		2016-17	एकमुश्त	8036.91
कुल		2015-16	एकमुश्त	14871.50

83

32. **कच्चा माल, भण्डार एवं यंत्रांग और संघटकों की खपत :**

मद	इकाई	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
		परिमाण	₹ लाख	परिमाण	₹ लाख
इस्पात	मे. टन	6589.195	2224.30	4867.419	2136.11
बोल्ट्स, नट्स और रिवेट्स	कि. ग्रा	35927.000		30812.000	
	अदद	14100.000		41447.000	
	सेट	80148.000	115.79	4755.000	55.08
रंग	लीटर		35.72	39990.000	78.67
क्रय की गई और भवन सामग्रियां			264.77		425.10
अन्य सामग्रियां			109.98		158.22
भण्डार और संघटकों की खपत			162.13		110.06
खुले औजारों की खपत			5.32		2.78
अन्य प्रत्यक्ष प्रभार			94.91		61.94
			3012.92		**3029.96**

33. आयात, व्यय और विदेशी मुद्रा में आय तथा खपत की सूचना :

	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	(₹ लाख)		(₹ लाख)	
(क) सी आई एफ मूल्य :				
आयात	शून्य		शून्य	
पूँजीगत मदें	शून्य		शून्य	
कच्चा माल और भण्डार	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	
(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय				
यात्रा, सम्मेलन इत्यादि	शून्य		1.30	
	शून्य		1.30	
(ग) विदेशी मुद्रा में आय				
एफओबी आधार पर निर्यात	शून्य		शून्य	
अन्यान्य	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	

84

	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	(₹ लाख)		(₹ लाख)	
(घ) कच्चा माल, संघटक की खपत का मूल्य				
आयातित				
स्वदेशी	2826.29	(100%)	2901.33	
भण्डार और यंत्रांग (अन्य खातों में खपत हुए भण्डार सहित)				
आयातित	0.00		0.00	
स्वेदशी	186.63	(100%)	128.63	
	3012.92		**3029.96**	

34. **निदेशकों / अधिकारियों से शेष बकाया :**

(लाख रु. में)

	2016-17	2015-16
वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान सर्वाधिक	शून्य	शून्य

35. कंपनी के पास एकमात्र फैब्रिकेशन समेत निर्माण क्षेत्र है।

36. द्रष्टब्य सं 4 खाली छोड़ दिया गया है।

37. विशिष्ट बैंक नोटों से संबंधित प्रकटीकरण **:**

यह नोट कंपनी द्वारा 08 नवंबर, 2016 से 30 नवंबर, 2016 के अवधि के दौरान धारित विशिष्ट बैंक नोटों (एसबीएनएस) एवं किए गए लेन-देन का विवरण है, जिसे नीचे तालिका में दिए गए हैं **:**

(लाख रुपये)

विवरण	एसबीएनएस	अन्य वर्गो के नोट	कुल
08.11.2016 को हस्तगत समापन नगद	2.01	1.42	3.43
जोड़े **:** वे प्राप्तियां जिसकी अनुमति थी	–	4.71	4.71
घटायँ **:** वे भुगतान जिसकी अनुमति थी	–	3.60	3.60
घटायँ **:** बैंकों में जमा की गई रकम	2.01	–	2.01
30.12.2016 को हस्तगत समापन नगद	–	2.53	2.53

85

38. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को पट्टे संलेख के आधार पर पट्टे का किराया दिया गया एवं 50.56 लाख रुपये (49.25 लाख रुपये) की राशि लाभ और हानि खाते में नामे किया गया। भविष्य में कोई वृद्धि पश्चिम बंगाल के टैरिफ अधिसूचना अधिनियम के आधार पर होगी।

39. पूंजी प्रतिबद्धता : 31.03.2017 को कोई पूंजी प्रतिबद्धता नहीं थी।

40. प्रति शेयर आय :

	मूल	तनूकृत
(क) वर्ष के लिए कल पश्चात लाभ (लाख रुपये)	1764.96	1764.96
(ख) कुल इक्विटी शेयर		
इक्विटी शेयरों को संख्या	1037305	1037305
संभावित इक्विटी शेयरों	–	171300
कुल :	**1037305**	**1208605**
प्रति शेयर आय (प्रति शेयर रुपये)	170.15	146.03

41. (क) कोष्ठकों के आंकड़ें विगत वर्ष के द्योतक हैं।

(ख) जहाँ कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

अनुसूची 1 से 41 तक के हस्ताक्षर
उसी तारीख को हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार
कृते बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, पंजी सं० 301007 ई
स.ले. अरूपदर्शी मुखोपाध्याय
भागीदार
(सद. सं० 062465)
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 सितंबर, 2017

निदेशक मण्डल की ओर से
सुंदर बनर्जी, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार
आर के मित्रा, निदेशक (वित्त)
जी. सी. जश, *महाप्रबंधक (वित्त)*
एस. के. भट्टाचार्य, *कंपनी सचिव*

86

द्रष्टव्य–30

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. **तैयार करने का आधार :**

ये वित्तीय विवरण भारत में साधारणतः लागू सिद्धान्तों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विहित लागू लेखा मानक के साथा पढ़ी गई कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7, अधिनियम (अधिसूचित सीमा तक) के प्रावधान एवं भारत में आम तौर पर स्वीकृत प्रयोज्य सीमा तक लेखांकन सिद्धान्तों के सभी भौतिक पक्षों में पालन करने के लिए तैयार किया गया है।

सभी परिसंपत्तियां एवं दायिताएँ कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में दिए अन्य मानदण्ड के मुताबिक वर्तमान एवं गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति एवं प्रक्रिया हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके नकद एवं नकद समतुल्य की उगाही के बीच लगे समय पर आधारित कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं दायिताओं का वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण करने के उद्धेश्य से 12 महीनों की प्रचालन चक्र सुनिश्चित की है।

लेखे ऐतिहासिक लागत आधार पर एवं चालू कारोबार के लेखांकन सिद्धान्त पर तैयार किए जाते हैं।

सभी देय समझे गए व्यय और आय एवं प्राप्य का क्रमशः जब तक कि विशेष तौर पर दूसरा कुछ नहीं बताया जाए, वाणिज्यिक आधार पर लेखांकन किया जाता है।

लेखांकन नीतियां, जब तक कि विशेष तौर पर दूसरा कुछ नहीं बताया जाए, संगतपूर्ण और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप है।

2. **आकलन का उपयोग :**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप जिसे प्रबंधन आकलन एवं मान्यताओं के लिए चाहता है जो प्रतिवेदित अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं की प्रतिवेदित राशि एवं वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यह्रास/परिशोधन :**

स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण अभिग्रहण और करों, शुल्कों, महसूल और अभिग्रहण एवं संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित उसमें परवर्ती सुधारों की लागत पर दिया जाता है। निर्माण/स्थापना अवधि के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए व्यय किए गए ब्याज को पूंजीवद्ध किया गया है। तकनीकी जानकारी की लागत का पूंजीकरण किया जाता है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से साझीदारी समझौते की अवधि तक या समझौते की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीन वर्ष तक, जो भी पहले ही, मुजरा किया जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्याह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II की अपेक्षाओं के अनुसार परिसंपत्तियों की लाभदायक अवधि पर ह्रसित मूल्य पद्धति पर (डब्ल्यू डी वी) किया जाता है। वर्ष के दौरान संयोजित/निपटान की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संयोजन/निपटान की तारीख के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर किया गया है।

87

अमूर्त परिसंपत्तियॉ :

अमूर्त परिसंपत्तियॉ जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लाईसेंस आदि को निर्धारित अवशेष मूल्य को छोड़ते हुए प्रबंधन के उपयोग काल के आकलन पर आधारित तीन वर्षो में स्टेट लाईन आधार पर परिशोधन किया गया है।

प्रमुख पूँजीगत/आधुनिकीकरण और विविधीकरण परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक खर्चों को समान वार्षिक किस्तों द्वारा आकलित लाभदायक अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

4. **राजस्व मान्यता :**

(i) राजस्व को संविदाओं के समापन और/या सेवाओं के प्रदान करने पर बिक्री के रुप में माना जाता है और वे बिक्री कर के शुद्ध पर लेकिन वसूलीयोग्य महसूल और अन्य प्रभारों पर बीजक मूल्य को प्रदर्शित करते है।

(ii) बिक्री को स्वीकृति मिलने पर संविदा के शर्तानुसार खरीद के संगत प्रभार के साथ ग्राहकों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों के मूल्य सहित विचार किया जाता है।

(iii) संविरचना और सेवा-कार्य आय (निर्मित उत्पाद के लिए सहित जहाँ कही लागू है) को समापन के समरुप प्रतिशत पर ग्राहकों के प्रमाणपत्र के अनुसार विचार किया जाता है।

(iv) टर्नकी परियोजनाओं/दीर्घकालीन संविदाओं/भार आधारित संविदाओं के मामले में, निष्पादित कार्य के मूल्य का निर्धारण जब कोई परियोजना समापन के पूर्व-निर्धारित स्तर पर पहुंचती है, समरूप समापन प्रतिशत के संदर्भ में अधिकतम सीमाबंदी तक बढ़ोत्तरी सहित समानुपातिक संविदा मूल्य के आधार पर किया जाता है। उक्त स्तर से नीचे संपन्न कार्य लागत पर लिया जाता है।

(v) सभी निश्चित दावों को राजस्व के रूप में माना जाता है।

5. (i) गारंटी अवधि के दौरान विक्रय पश्चात् सेवा व्यय की संगणना उस अवधि के लिए की जाती है, जब यह व्यय होता है।

(ii) अनुसंधान और विकास पर राजस्व व्यय को उस अवधि के लिए लिया जाता है, जिसमें वह खर्च होता है।

6. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन निम्नतर लागत या शुद्ध उगाही मूल्य पर किया जाता है। आम तौर पर लागत का निर्धारण निम्नरुप से होता है :-

(i) कच्चे माल, भण्डार और यंत्रांग, फुटकर औजारों का परिकलन लागत या उसके अधीन भारित औसत पद्धति पर किया जाता है।

(ii) समापन के विभिन्न स्तरों पर चालू कार्य/चालू संविदा का कथन मूल लागत पर या उसके अधीन होता है। ग्राहकों से प्राप्त चालू कार्य भुगतान को चालू कार्य से घटाया जाता है।

(iii) लागत पर निमिथ्या कार्य सामग्री न्यून प्रत्येक परियोजना में इसके उपयोग के लिए 33.33% की दर से अपलेख कर किया जाता है।

(iv) विकसित या विकासाधीन प्रोटोटाइप को जब तक बिक्री, स्थानंतरण या मूल लागत पर स्क्रैपिंग नहीं हो जाती, वस्तुसूची की मदों के रूप में आगे लाया जाता है।

88

(v) भण्डार, कच्चा माल (कार्यों के लिए जारी की गयी सामग्रियों के अतिरिक्त) और औजारोके अचल स्टॉक का मूल्यांकन 3 वर्षों से हटाई नहीं गयी मदों के संबंध में पुस्तक मूल्य के 75% पर, 4 वर्षों से ज्यादा मदों पर 50% और 5 वर्षों से अधिक के संबंध में 25% पर किया जाता है।

7. **निर्माण ठेके के लिए लेखांकन :**

(क) संविदा राजस्व की पहचान मात्र लागत से उस समय तक ही की जाती है जब तक कि कार्य का परिणाम विश्वस्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। जब संविदा का परिणाम विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित हो जाता है संविदा के साथ प्रतिशत समापन पद्धति का प्रयोग करते हुए आनुपातिक मार्जिन पर निष्पादित कार्य के लागत पर संविदा राजस्व की पहचान की जाती है। अतिरिक्त कार्य का प्रावधान संविदा में नहीं किया गया है और वृद्धि का लेखांकन नकदी आधार पर किया जाता है।

(ख) संविदा लागत उस लेखांकन अवधि में व्यय के रुप में जाना जाता है जिसमें वे खर्च हुए हैं।

(ग) संविदा के भविष्य की क्रियाकलाप से संबंधित संविदा लागत की पहचान इस सम्भाव्यता पर परिसम्पत्ति के रूप में की जाती है कि उसकी उगाही होगी एवं प्रगतिधीन कार्य के रूप में वर्गीकृत होगी।

(घ) यदि किसी प्रत्याशित हानि है तो संविदा समाप्ति के चरण पर ध्यान दिये बिना ही उस अवधि में व्यय के रूप में माना गया जिसमें उसका पूर्वानुमान किया गया है।

8. तुलन-पत्र की तारीख को बकाया देयता, यदि वह विदेशी मुद्रा में देय है तो विदेशी मुद्रा कारोबार का पुनर्कथन तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर किया जाता है। उससे उत्पन्न विनिमय अन्तरों का संव्यवहार लाभ और हानि लेखे के अन्दर किया जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर, जिसका समायोजन इसकी चल राशि से किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति हितलाभों का प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया जाता है और जीवनांकिक मूल्यांकन या प्रशासि मूल्य के आधार पर, जहां उचित हो, भविष्य विधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों को भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अव्यवहृत छुट्टी का नकदीकरण और एल आई सी के पास आनुतोषिक कोष देयता का प्रावधान जीवनांकिक आधार पर एएस-15 (संशोधित) के अनुसार किया जाता है।

10. कंपनी के वित्तीय मामलों को खासतौर पर प्रभावित करने वाली पूर्वावधि और असामान्य भदों और लेखांकन नीतियों में विचलन की घोषणा की जाती है।

11. वर्तमान कर का निर्धारण अवधि के लिए करधार्य आय के संबंध में भुगतानयोग्य कर की राशि के रूप में किया जाता है। आस्थगित कर को करधार्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अन्तर पर माना जाता है, जो एक काल में उत्पन्न होता है और व्यावहारिकता पर विचार करने के अध्यधीन परवर्ती कालों में परिवर्तन में सक्षम है। आस्थगित कर को अविलीन मूल्यह्रास पर नहीं माना जाता है, और जबतक भावी करधार्य आय के लिए वास्तविक निश्चितता नहीं होती है, अग्रेनीत हानियां नहीं स्वीकार की जाती।

12. पूँजीगत व्यय के लिए सरकार से सहायता या अनुदान को योजना में विनिर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए प्रतीक्षारत खास आरक्षित निधियों के रूप में जमा डाला जाता है। अवधि के समाप्त होने पर इसे पूँजी आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

13. सरकारी पार्टियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे से प्राप्यों को साधारणतः इसकी आयु विचार किए वगैर वसूलीयोग्य माना जाता है।

14. चालू निवेश लागत एवं उद्धृत/उचित मूल्य के निम्नतर श्रेणी चार संगणना की जाती है। गैर चालू–निवेश लागत पर बताया जाता है। यदि केवल अस्थायी के अलावा ऐसी गिरावट होती है तो गैर–चालू निवेश के मूल्य में कमी होने का प्रावधान किया जाता है।

15. जब परिसम्पत्ति की चलाने की लागत उसकी उगाही मूल्य से ज्यादा हो जानी है तो उस परिसम्पत्ति को हानिकर माना जाता है। क्षतिपूर्ण हानि जो जिस वर्ष में पहचाना जाता है उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। यदि अनुमानित वसूली राशि में बदलाव होता है तो पूर्ववर्ती लेखांकन अवधि में पहचान की गयी क्षतिपूर्ण हानि को प्रतिवर्तित कर दिया जाता है।

16. ''प्रावधान, संभावित देयतायें एवं संभावित परिसंपत्तिया'' प्रावधानों के लिए भरपूर आकलन किया गया है और भूतपूर्व घटनाओं के फलस्वरुप वर्तमान वचनवद्धता को मान्यता दी गयी है और इसकी वजह से परिसंपत्तियों के बहिर्गमन की संभावना है। संभावित देयतायों को मान्यता नहीं दिया गया है परंतु लेखा के द्रष्टव्य पर इसे उल्लिखित किया गया है। संभावित परिसंपत्तियों को न ही पहचान किया गया न ही आर्थिकी वित्तीय में उल्लिखित किया गया है।

17. पट्टा जहां जोखिम और पुरस्कार का महत्वपूर्ण अंश कंपनी को स्थानांतरित नहीं किया जाता है उसे प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि ये दीर्घकालीन गौ–रद्द करने योग्य है और निश्चित वृद्धिशील धारा की है तो स्ट्रेट लाइन आधार का पालन किया जाता है। खर्च को तदनुसार लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

18. योग्य परिसंपत्तियों के लिए ब्याज एवं अन्य उधारी लागत को पूंजीकृत किया गया है। अन्य ब्याज एवं उधारी लागत को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

19. तुलन–पत्र की तारीख के पश्चात् घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

निदेशक मण्डल की ओर से
सुंदर बनर्जी, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार
आर के मित्रा, निदेशक (वित्त)
जी. सी. जश, *महाप्रबंधक (वित्त)*
एस. के. भट्टाचार्य, *कंपनी सचिव*

कृते बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301007 ई
(स.ले.–अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)भागीदार (सद सं. 062465)
स्थान : कोलकाता, दिनांक : 13-11-2017

90

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनगत क्रियाकलायों से कोष का प्रवाह				
(i) **लाभ एवं हानि विवरण की मुताविक कर-पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)**		1764.96		4440.49
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	117.10		115.42	
अन्य आय (कर का शुद्ध)	(1491.62)		(2030.48)	
विदेशी मुद्रा में अर्जन	0.11	(1374.41)	(0.28)	(1915.34)
ब्याज व्यय		79.89		48.32
		2509.43		**3809.98**
(ii) **कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनगत लाभ**		470.44		2573.47
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
व्यापार प्राप्यताएँ	(0.24)		181.29	
वस्तुसूचियां	(1,610.53)		(1,756.92)	
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	(66.72)		(11.61	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(144.56)		(619.41)	
देयताएं एवं प्रावधान	210.74	(1611.31)	(4,227.94)	(6434.59)
प्रचालनगत क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी प्रवाह		(1140.87)		(3861.12)
(ख) निवेशमूलक क्रियाकलायों से नकद प्रवाह				
अन्य आय	1491.62		2030.48	
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(64.43)		(138.05)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	0.87			
निवेश में वृद्धि/बिक्री/कटौती/हस्तांतरण	0.00		20.00	
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नगदी		1428.06		1912.43

91

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष		**31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष**
(ग) वित्तपोषण क्रियाकलायों से नकद प्रवाह				
भारत सरकार के ऋण की वापसी	0.00		(150.00)	
अप्रतिभूति ऋण में वृद्धि	0.00		0.00	
ब्याज प्रदत्त	(79.89)		(48.32)	
नकद उदारी सुविधाओं में वृद्धि/(कमी)	416.16		55.50	
विदेशी मुद्रा में अर्जन/हानि	(0.11)		0.28	
लाभांश (कर सहित)	(1603.34)		0.00	
वित्तपोषण क्रियाकलायों से शुद्ध नकदी		(1267.18)		(142.54)
(घ) नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		(979.99)		(2091.23)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		19889.21		21980.44
वर्ष के अन्त में (द्रष्टव्य सं०17) नकद और नकद समतुल्य		18909.22		19889.21

द्रष्टव्य : (1) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण ''अप्रत्यक्ष पद्धति'' के तहत तैयार किया गया है जैसा कि लेखांकन मानक-3 नगदी प्रवाह विवरण में निर्धारित है।

उसी तारीख को हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में है।

निदेशक मण्डल की ओर से
सुंदर बनर्जी, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*
निदेशक (तकनीकी) अतिरिक्त प्रभार
आर के मित्रा, निदेशक (वित्त)
जी. सी. जश, *महाप्रबंधक (वित्त)*
एस. के. भट्टाचार्य, *कंपनी सचिव*

कृते बी. सी. कुण्डू एण्ड कंपनी एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार, पंजी. सं. 301007 ई
(स.ले.-अरूपदर्शी मुखोपाध्याय)भागीदार (सद सं. 062465)
स्थान : कोलकाता, दिनांक : 13-11-2017

92